[2023] 11 एस**.** सी**.** आर **958:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी **788**

मामलों का विवरण

अमीना बेगम बनाम।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2706) सितंबर 04,2023

[सूर्या कान्ट और दीपांकर दत्ता**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःअपीलार्थी के पति के खिलाफ पुलिस आयुक्त द्वारा 24.03.2023 दिनांकित निरोध का आदेश पारित किया गया था।जिन कथित कृत्यों के लिए बंदी को हिरासत में रखा गया है, क्या वे 'सार्वजनिक व्यवस्था' के लिए प्रतिकूल हैं और क्या सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किया गया था या क्या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग में बाहरी कारकों को तौला गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि बंदी एक आदतन अपराधी है और उसके द्वारा आगे के अपराधों की रोकथाम के लिए, उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए।

तेलंगाना बूटलेगर्स**,** डकैतों**,** ड्रग**-**ऑफ एंडर्स**,** गुंडों**,** अनैतिक तस्करी ऑफ एंडर्स**,** लैंड ग्रैबर्स**,** नकली बीज ऑफ एंडर्स**,** कीटनाशक ऑफ एंडर्स**,** उर्वरक ऑफ एंडर्स**,** खाद्य मिलावट ऑफ एंडर्स**,** नकली दस्तावेज़ ऑफ एंडर्स**,** अनुसूचित वस्तु अपराधी**,** वन अपराधी**,** गेमिंग ऑफ एंडर्स**,** यौन ऑफ एंडर्स**,** विस्फोटक पदार्थ ऑफ एंडर्स**,** आर्म्स ऑफ एंडर्स**,** साइबर क्राइम ऑफ एंडर्स और व्हाइट कॉलर या वित्तीय अपराधी अधिनियम **1986** की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम**-**वर्ष **2022** और **2023** के दौरान**,** त्वरित उत्तराधिकार में**,** अपीलार्थी के पति ने **9 (**नौ**)** और अधिक अपराध किए थे।

आयोजित किया गयाःनिरोध का आदेश उन चीज़ों के बीच अंतर करने में विफल रहा जो "कानून और व्यवस्था" की स्थिति पैदा करते हैं और जो "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं-भले ही प्रतिबंध लागू न हो।

958 959

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस।

निरोध आदेश में निर्दिष्ट, जिसे कथित रूप से निरोध द्वारा किया गया है, से संतुष्टि हुई है, फिर भी वे अलग-अलग और आवारा कार्य हैं जो निजी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं और इसी तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति सार्वजनिक जीवन के समान अधिकार को प्रभावित नहीं करती है-नाबालिग लड़की के संबंध में अपराध ने कुछ समय के लिए अदालत का विचार किया था, लेकिन यह नोट किया गया था कि निरोध को उच्च न्यायालय द्वारा एक आवेदन पर पारित आदेश के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया था। 438 आई. डी. 1.-अन्यथा भी, अरुण घोष मामले में कथित अपराध की गंभीरता डिग्री में अधिक थी, फिर भी, उन्हें 'सार्वजनिक व्यवस्था' को लागू करने के रूप में नहीं माना गया-एकमात्र अन्य अपराध जो "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य" की गणना की गई श्रेणी को आकर्षित कर सकता है और निवारक निरोध का आदेश, यदि बिल्कुल भी हो, तो वह छिटपुट घटना है जहां बंदी पर यू/एस. का आरोप लगाया गया है।353, आई. पी. सी. और जहाँ पुलिस ने यू/एस. की गिरफ्तारी पर विचार भी नहीं किया है।41 Cr.PC-परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने पर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा विचाराधीन मामलों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त है, जिसे आयुक्त का अनुमान है कि यदि हिरासत में नहीं लिया गया है तो बंदी द्वारा दोहराया जा सकता है-इस प्रकार, निरोध का आदेश अक्षम्य है।[पैरा 29,39 और 40]

तेलंगाना बूटलेगर्स**,** डकैतों**,** ड्रग**-**ऑफ एंडर्स**,** गुंडों**,** अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स**,** लैंड ग्रैबर्स**,** नकली बीज ऑफ एंडर्स**,** कीटनाशक ऑफ एंडर्स**,** उर्वरक ऑफ एंडर्स**,** खाद्य मिलावट ऑफ एंडर्स**,** नकली दस्तावेज़ ऑफ एंडर्स**,** अनुसूचित वस्तु अपराधी**,** वन अपराधी**,** गेमिंग ऑफ एंडर्स**,** यौन ऑफ एंडर्स**,** विस्फोटक पदार्थ ऑफ एंडर्स**,** आर्म्स ऑफ एंडर्स**,** साइबर क्राइम ऑफ एंडर्स और व्हाइट कॉलर या वित्तीय ऑफ एंडर्स अधिनियम **1986** की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम**-** दिनांकित **24.03.2023** के निरोध के क्रम में दिमाग का अनुप्रयोग**-**उचित या अनुचितः

आयोजित किया गयाःडिटेनू को पहले अधिनियम के तहत निरोध के आदेश दिनांक 04.03.2021 के तहत निवारक रूप से हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.08.2021 द्वारा रद्द कर दिया गया था-आयुक्त ने कहा कि निरोध का वर्तमान आदेश इन 9 (नौ) अपराधों (वर्षों 2022-2023) में से केवल 5 (FIVE) पर आधारित है, जो

यह दिखाने के लिए कथित हैं कि डिटेनू की गतिविधियाँ "क्षेत्र में शांति और शांति को बिगाड़ने के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं"-आयुक्त ने यह पेश करने की मांग की कि उन्होंने उक्त 5 (FIVE) प्राथमिकियों के आधार पर निरोध का आदेश दिया, जो कथित रूप से डिटेनू द्वारा किए गए पिछले अपराधों का संकेत है-हालाँकि,

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निरोध के आदेश को निरस्त करना और इस तरह के निर्देश को वास्तविकता प्राप्त करने के बाद, यह तर्क की अवहेलना करता है कि आयुक्त ने अतीत की घटनाओं का विस्तृत वर्णन क्यों शुरू किया, जो निरोध के वर्तमान आदेश के आधारों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं-चूंकि उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार, पक्षों पर बाध्यकारी है, इसलिए आयुक्त के लिए चुनौती के तहत निरोध आदेश में फिर से उसी पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख करने के लिए खुला नहीं था-निरोध आदेश की तत्काल आवश्यकता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध या संबंध नहीं था और निरोध आदेश में बाहरी विचार थे।[पैरा 43,46 और 48]

निवारक निरोध-सामान्य आपराधिक कानून और निवारक निरोध के कानून का असाधारण उपायः

आयोजित किया गयाःतत्काल मामले में, यह न तो उत्तरदाताओं का मामला है कि बंदी ने यू/एस द्वारा जारी किए गए नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया था।41-सी. आर. में से ए। पी. सी., और न ही यह आरोप लगाया गया है कि बंदी द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया था-यह ध्यान रखना उचित है कि जिन तीन आपराधिक कार्यवाहियों में बंदी को जमानत पर रिहा किया गया था, उनमें राज्य द्वारा जमानत रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था-उसी के आलोक में, अधिनियम के प्रावधान, जो एक असाधारण क़ानून है, का सहारा तब नहीं लिया जाना चाहिए था जब सामान्य आपराधिक कानून ने विवादित निरोध आदेश की ओर ले जाने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए थे-जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो सकते थे, लेकिन परिस्थितियां निवारक निरोध के कानून के असाधारण उपाय का सहारा लेने के लिए सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के उल्लंघन की गारंटी नहीं देती थीं।[पैरा 51]

निवारक निरोध-अधिकारियों को हिरासत में लेने के लिए मार्गदर्शन-आदेश सरल और सरल भाषा में होना चाहिएः

आयोजित किया गयाःहिरासत के आदेशों को ऐसी भाषा में व्यक्त करने की कानून में कोई आवश्यकता नहीं है जिसे आम तौर पर सुरुचिपूर्ण या कलात्मक माना जाता है-हिरासत के आदेश, जो समझने में सक्षम है, को बिना किसी अस्पष्टता के हिरासत के आधार को सटीक रूप से निर्धारित करना पड़ता है-आदेश का सार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा इसे कैसे समझा जाता है, यह इसकी प्रकृति को निर्धारित करता है-एक स्पष्ट और सरल भाषा में एक आदेश जो व्यक्तिपरक संतुष्टि कैसे बनाई गई थी, यह स्पष्ट करता है कि एक बंदी क्या देखेगा, क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और दावा करता है कि ऐसा आदेश बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था।[पैरा 49] 961

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस।

तेलंगाना बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग-ऑफ एंडर्स, गुंडों, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स, लैंड ग्रैबर्स, नकली बीज ऑफ एंडर्स, कीटनाशक ऑफ एंडर्स, उर्वरक ऑफ एंडर्स, खाद्य मिलावट ऑफ एंडर्स, नकली दस्तावेज़ ऑफ एंडर्स, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग ऑफ एंडर्स, यौन ऑफ एंडर्स, विस्फोटक पदार्थ ऑफ एंडर्स, आर्म्स ऑफ एंडर्स, साइबर क्राइम ऑफ एंडर्स और व्हाइट कॉलर या वित्तीय ऑफ एंडर्स अधिनियम **1986**-हिरासत की अवधि में सलाहकार बोर्ड और सरकार की भूमिकाः

आयोजित किया गयाःयह कहना एक बात है कि सलाहकार बोर्ड ने यह राय व्यक्त की है कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है और इसलिए निरोध जारी रखा गया है; फिर भी, यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि निरोध अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए जारी रहना चाहिए-अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (2) के आलोक में, जिस अवधि के लिए निरोध जारी रहना चाहिए, उसे सरकार द्वारा धारा 13 में इस शर्त के साथ निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है कि निरोध की तारीख से अधिकतम अवधि 12 (बारह) महीने होगी-यह प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के एक स्पष्ट अध्ययन पर दिखाई देता है-जिस अवधि के लिए एक निरोध को हिरासत में रखा जाना है वह अवधि है।[पैरा 58]

तेलंगाना बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग-ऑफ एंडर्स, गुंडों, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स, लैंड ग्रैबर्स, स्पूरियस सीड ऑफ एंडर्स, इंसेक्टिसाइड ऑफ एंडर्स, फर्टिलाइज़र ऑफ एंडर्स, फूड एडुल्टरेशन ऑफ एंडर्स, फेक डॉक्यूमेंट ऑफ एंडर्स, शेड्यूल्ड कमोडिटीज ऑफ एंडर्स, फॉरेस्ट ऑफ एंडर्स, गेमिंग ऑफ एंडर्स, सेक्सुअल ऑफ एंडर्स, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑफ एंडर्स, आर्म्स ऑफ एंडर्स, साइबर क्राइम ऑफ एंडर्स और व्हाइट कॉलर या फाइनेंशियल ऑफ एंडर्स एक्ट **1986-**एस में "अधिकतम अवधि" शब्द।**13** और निरंतर नजरबंदीः

आयोजित किया गयाःधारा 13 में "अधिकतम अवधि" शब्द सरकार को विवेकाधिकार के साथ निहित करता है, यह विचार करते हुए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है कि क्या निरोध को अधिकतम 12 (बारह) महीने या किसी कम अवधि के लिए जारी रखा जाना है-निरोध की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक रूप से भिन्न होनी चाहिए और सभी मामलों में समान नहीं हो सकती है-उद्देश्य को पूरा करने की मांग की गई है।

प्रत्येक मामला, चाहे अधिकतम अवधि के लिए निरंतर निरोध द्वारा उप-सेवा प्रदान की गई हो, निरोध के क्रम में कुछ प्रतिबिंबन होना चाहिए; अन्यथा, सरकार पर अनुचितता और अन्याय का आरोप लगाया जा सकता है।[पारस 63 और 70]

निवारक निरोध-न्यायिक समीक्षा-निवारक निरोध के आदेशों की वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय, जब उनकी जांच करने के लिए कहा जाता हैः

आयोजित किया गयाःकिसी मामले की परिस्थितियों में, एक संवैधानिक न्यायालय को जब निवारक निरोध के आदेशों की वैधता का परीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है, तो वह इस बात की जांच करने का हकदार होगा कि क्याः((i) आदेश बंदी प्राधिकारी की अपेक्षित संतुष्टि पर आधारित है, भले ही वह व्यक्तिपरक हो, क्योंकि तथ्य या कानून के किसी मामले के अस्तित्व के बारे में ऐसी संतुष्टि का अभाव, जिस पर शक्ति के प्रयोग की वैधता की भविष्यवाणी की गई है, शक्ति के प्रयोग को संतुष्ट नहीं करने के लिए अनिवार्य होगा; (ii) ऐसी अपेक्षित संतुष्टि तक पहुंचने में, बंदी प्राधिकारी ने अपने दिमाग को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों में लागू किया है और यह कानून के दायरे और उद्देश्य के लिए बाहरी सामग्री पर आधारित नहीं है; (iii) उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है, या एक अनुचित उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है, जो कानून द्वारा अधिकृत नहीं है, और इसलिए यह अधिकार से परे है।

निरोध के लिए संतुष्टि, उसे एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना; और (x) कानून के तहत प्रदान की गई समयसीमा का सख्ती से पालन किया गया है।[पैरा 25]

भारत का संविधान-निवारक निरोध-लापरवाह आह्वान

सेः

आयोजित किया गयाःइस पर कोई गंभीर बहस की आवश्यकता नहीं है कि संविधान निर्माताओं द्वारा एक असाधारण उपाय के रूप में परिकल्पित निवारक निरोध को वर्षों से अपने लापरवाह आह्वान के साथ सामान्य बना दिया गया है, जैसे कि यह कार्यवाही के सामान्य पाठ्यक्रम में भी उपयोग के लिए उपलब्ध था-निवारक निरोध की बेड़ियों को हटाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि संविधान में निहित सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा गठित 'स्वर्ण त्रिकोण' के तहत, परिश्रमपूर्वक लागू किए जाएं।[पैरा 57]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 2154:[1975] 1 एस. सी. आर. 778; रामेश्वर शॉ बनाम जिला मजिस्ट्रेट ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 334:[1964] एससीआर 921; सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ (2000) 3 एससीसी 409:[2000] 1 एस. सी. आर. 945; राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य [1966] 1 एस. सी. आर. 709; कुसो साह बनाम। बिहार राज्य (1974) 1 एस. सी. सी. 195; फागू शॉ बनाम.

पश्चिम बंगाल राज्य (1974) 4 एससीसी 152:[1974] 2 एस. सी. आर. 832-अनुसरण किया गया।

खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 2 एस. सी. सी 81:[1975] 2 एस. सी. आर. 832; इच्चु देवी चोरारिया बनाम भारत संघ (1980) 4 एस. सी. सी. 531:[1981] 1 एस. सी. आर. 640; समा अरुणा बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 12 एस. सी. सी. 150:[2017] 4 एस. सी. आर. 52; खाजा बिलाल अहमद बनाम तेलंगाना राज्य (2020)

13 एससीसी 632:[2019] 18 एस. सी. आर. 1174; रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011)

5 एससीसी 244:[2011] 4 एससीआर 740; राजेश गुलाटी बनाम सरकार। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2002) 7 एस. सी. सी. 129; विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य (1984) 3 एस. सी. सी. 14:[1984] 3 एस. सी. आर. 435; बांका स्नेहा शीला बनाम। तेलंगाना राज्य (2021) 9 एस. सी. सी. 415; मल्लदा के श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य 2022 एस. सी. सी.

ऑनलाइन एससी 424; ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) 1 एस. सी. सी. 271:[1982] 2 एस. सी. आर. 272-पर निर्भर।

विजय कुमार बनाम भारत संघ (1988) 2 एस. सी. सी. 57; पेसाला नुकाराजू बनाम.

आंध्र प्रदेश सरकार सीआरएल। 16 अगस्त, 2023 को निर्णय लिया गया 2023 की अपील No.2304;-विशिष्ट।

ए. के. गोपालन बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27:[1950] एससीआर 88;

रुस्तमजी कावासजी कूपर बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 564:[1970] 3 एस. सी. आर. 530; शिबबन लाल सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 177:[1954] एस. सी. आर. 418; सामान्य कारण बनाम भारत संघ (1999) 6 एस. सी. सी. 667:[1999] 3 एस. सी. आर. 1279; अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एस. सी. सी. 98:[1970] 3 एस. सी. आर. 288; शेख नाज़नीन बनाम। तेलंगाना राज्य सीआरएल। 2022 की अपील No.908, दिनांक 22 जून 2023; दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर

बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 181:[1952] एससीआर 612; बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम बीएस। मुद्दप्पा (1991) 4 एस. सी. सी. 54:[1991] 3 एस. सी. आर. 102; दीपक बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 99; चेरुकरी मणि बनाम प्रमुख।

सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार (2015) 13 एससीसी 722:[2014] 6 एससीआर 750 सुज़ाना शार्प बनाम वेकफी एल्ड और ओआरएस। [1891] ए. सी. 173,179-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2706।

2023 के डब्ल्यू. पी. No.9000 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 28.06.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. जे. पी. ढांडा, सुश्री राज रानी ढांडा, सुश्री सुची निगम, सुश्री जेसल वाही, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीहर्ष पीचारा, राजीव कुमार चौधरी, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, सुश्री पल्लवी, सुश्री कृति सिन्हा, रूपराज बनर्जी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता

अनुमति प्रदान की गई।

चुनौती के तहत न्याय

2. इस अपील में हमलावर के तहत तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का 28 जून, 2023 का एक निर्णय और आदेश है (उच्च 965)।

अदालत, "इसके बाद)।आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली अपीलार्थी द्वारा स्थापित एक रिट याचिका 1 को खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी के पति ("निरोध", इसके बाद) के 24 मार्च, 2023 ("निरोध आदेश", इसके बाद) के निरोध के आदेश को बरकरार रखा गया।

विवरण और आगे की प्रक्रियाओं का आदेश

3. पुलिस आयुक्त, हैदराबाद शहर ("आयुक्त", इसके बाद) ने तेलंगाना की धारा 3 (2) के प्रावधानों के तहत बंदी के खिलाफ निरोध आदेश पारित किया, जिसमें शराब तस्करों, डकैतों, नशीली दवाओं के तस्करों, गुंडों, अनैतिक तस्करी बंद करने वाले, भूमि हड़पने वाले, नकली बीज बंद करने वाले, कीटनाशक बंद करने वाले, उर्वरक अपराधी, खाद्य मिलावट करने वाले अपराधी, नकली दस्तावेज अपराधी, अनुसूचित वस्तु बंद करने वाले, वन बंद करने वाले, जुआ बंद करने वाले, यौन बंद करने वाले, विस्फोटक पदार्थ बंद करने वाले, हथियार बंद करने वाले, साइबर अपराध बंद करने वाले और सफेद करने वाले की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम शामिल है।निरोध आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि बंदी ने पहले 4 मार्च, 2021 को "व्हाइट कॉलर ऑफ एंडर" की श्रेणी के तहत निरोध का आदेश दिया था; हालाँकि, उच्च न्यायालय के 16 अगस्त, 2021 के एक आदेश के अनुसार, उसके पिता 2 द्वारा स्थापित रिट कार्यवाही में, बंदी को 17 अगस्त, 2021 को निरोध से रिहा कर दिया गया था; कि इस तरह की रिहाई के बाद भी, बंदी ने अपराध करने की अपनी आदतन प्रकृति को ठीक नहीं किया और हाल ही में (2022 और 2023 के दौरान), एक के बाद एक, हैदराबाद पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर 9 (नौ) अधिक अपराध किए थे, जैसा कि उसमें सूचीबद्ध है; कि ऐसे 9 (नौ) अपराधों में से 5 (एफ)

महिलाओं की शील भंग करना, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, लोक सेवकों को उनके वैध कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, डकैती और

1 2023 का डब्ल्यू. पी. No.9000

2 2021 का डब्ल्यू. पी. No.12321

3 (i) आई. पी. सी. की धारा 186,189,353,504,506 के तहत आई. पी. आर. संख्या 227/2022 दिनांक 28.07.2022 (ii) आई. पी. सी. की धारा 420,384,506 आर/डब्ल्यू 34 के तहत प्राथमिकी संख्या 262/2022 दिनांक 10.10.2022। (iii) आई. पी. सी. की धारा 354,420,323,506 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराध के लिए 12.10.2022 दिनांकित एफ. आई. आर.; (iv) आई. पी. सी. की धारा 506,420,406 आर/डब्ल्यू 34 के तहत प्राथमिकी संख्या 18/2023 दिनांक 21.01.2023। और (v) आई. पी. सी. की धारा 392,195 ए के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 35/2023 दिनांक 08.02.2023।

संगठित तरीके से अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक धमकी

और वह अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) (मूल में बोल्ड) की सीमा में एक 'गुंडा' है।आयुक्त ने बंदी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए, न केवल अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनी संतुष्टि दर्ज की, बल्कि यह भी संतोष दर्ज किया कि "जिस सामान्य कानून के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था, वह ऐसे अपराधी की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे समाज के लिए कोई सम्मान नहीं है।इसलिए, जब तक उसे निरोध कानूनों के तहत हिरासत में नहीं लिया जाता है, उसकी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है।गोलकोंडा पी. एस. के Cr.No.18/2023 और फलकनुमा पी. एस. के Cr.No.35/2023 में डिटेनू के नेतृत्व में जमानत याचिकाओं का उल्लेख करने के बाद और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपयुक्त काउंटरों के बावजूद जमानत दी गई जिसके परिणामस्वरूप डिटेनू को जेल से रिहा कर दिया गया, आयुक्त ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

“जैसा कि उसके पिछले आपराधिक इतिहास, पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्तियों और एक के बाद एक अपराध करने की उसकी आदत और जेल से बाहर आने की उसकी आदतों से देखा जा सकता है, मेरा दृढ़ता से मानना है कि अगर इस तरह के आदतन अपराधी को रिहा कर दिया जाता है, तो उसकी गतिविधियाँ समाज के लिए सुरक्षित नहीं होंगी और एक मामले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन करके उसके इसी तरह के अपराध करने की संभावना है जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, जब तक कि उसे निरोध के उचित आदेश द्वारा ऐसा करने से रोक कर नहीं रखा जाता है।"

इसके बाद बंदी को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया, जिसे 'गुंडा' माना जाता है, उसी की सेवा की तारीख से उसे केंद्रीय जेल, चंचलगुडा, हैदराबाद में रखने के निर्देश के साथ।

4. अपने पति को हिरासत में लिए जाने पर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में 29 मार्च, 2023 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें कई आधार उठाए गए और निरोध आदेश को रद्द करने की मांग की गई।इस तरह का प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया था। सलाहकार बोर्ड ने 29 अप्रैल, 2023 की एक रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि "हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण है", जिसके बाद सरकार ने अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत 20 मई, 2023 को एक आदेश जारी किया जिसमें निरोध आदेश को स्वीकार किया गया और निर्देश दिया गया कि हिरासत की तारीख से 12 महीने की अवधि यानी 27 जनवरी, 2023 (एस. आई. सी., 27 मार्च, 2023) तक हिरासत जारी रखी जाए।सम तिथि के एक और आदेश तक, अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था 967

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 968

निरोध आदेश को दरकिनार करने/निरस्त करने के लिए किसी भी वैध आधार/कारणों की अनुपस्थिति के कारण सरकार द्वारा उसके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया।5. अपीलार्थी ने तब उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, जिसके बाद पक्षों को सुना गया और विवादित निर्णय दिया गया, जिसमें रिट याचिका को खारिज करने के कारण शामिल थे।

दलों की सामग्री

6. अपील की सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री लूथरा ने विवादित फैसले के कई पैराग्राफों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि उन त्रुटियों को प्रदर्शित किया जा सके जिनसे वे तथ्यात्मक और साथ ही कानूनी दोनों थीं। उन्होंने तथ्यात्मक के साथ-साथ कानूनी पहलुओं पर प्रस्तुतियों वाले लिखित टिप्पणियों को भी रिकॉर्ड में रखा।उसमें निर्दिष्ट अधिकारियों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने अवैध हिरासत से बंदी की रिहाई की सुविधा के लिए इस अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेव ने आग्रह किया कि श्री लूथरा द्वारा उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में छेद करने के प्रयास के बावजूद, जो देखा और पढ़ा जाना चाहिए वह धारा 3 के तहत पारित निरोध का आदेश है और एक बार पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित फैसले में दर्ज अंतिम निष्कर्ष निरोध के लिए आधारों के आधार पर रक्षात्मक है जैसा कि आयुक्त द्वारा 24 मार्च, 2023 के अपने आदेश और सरकार के 20 मई, 2023 के आदेश में सौंपा गया है।श्री डेव द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों को यहाँ सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़ते हुए उनसे निपटने का इरादा रखते हैं।हालांकि, संक्षेप में कहें तो श्री डेव का तर्क रहा है कि हिरासत में लिए गए प्राधिकारी की संतुष्टि को वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अधीन नहीं किया जा सकता है और यह कि अदालतों से ऐसे अधिकारियों पर अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; और यह कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सद्भावना से पारित एक आदेश, श्री लूथरा द्वारा उठाए गए दावे

जैसे नकारात्मक दावे का पूर्ण उत्तर है।उनके द्वारा निवारक निरोध मामलों पर कई आधिकारिक निर्णयों का हवाला दिया गया था जिनका उच्च पूर्ववर्ती मूल्य था और उन्होंने तर्क दिया कि अपील खारिज करने के अलावा कुछ भी नहीं है।

सामान्य विमर्श निवारक विवरण और न्यायिक समीक्षा

8. इस विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने का साहस करने से पहले कि निरोध आदेश कानूनी है या नहीं, हम खुद को याद दिलाना आवश्यक समझते हैं

उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए किसी विशेष मामले में निवारक निरोध का आदेश दिया जा सकता है, एक वैध निरोध आदेश की आवश्यकताएं और ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश।

9. संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण और मौलिक माना जाता है, जो किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जो कानून की अदालत द्वारा जारी वारंट के अलावा अन्यथा लागू की जाती है।फिर भी, इस तरह से गारंटीकृत संरक्षण अनुच्छेद 22 के खंड (3) के अधीन है जो खंड (1) और (2) के अपवाद के रूप में कार्य करता है और आदेश देता है कि इसमें कुछ भी अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी व्यक्ति को लागू नहीं होगा जिसे निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है।निवारक निरोध का उद्देश्य, जैसा कि माननीय ए. एन. ने कहा है।

रे, सी. जे. हरधन साहा बनाम में। पश्चिम बंगाल राज्य 4 को रोकने के लिए है

किसी राज्य की सुरक्षा और राष्ट्र के कल्याण को खतरे में डालने वाले तत्वों की बड़ी बुराई।निवारक निरोध, हालांकि एक कठोर और भयावह उपाय है, संविधान द्वारा ही अनुमति दी गई है, लेकिन उन सुरक्षा उपायों के अधीन है जो प्रासंगिक अनुच्छेद का हिस्सा हैं और जो उच्च प्राधिकारी के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बनाए गए हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

10. यह सामान्य ज्ञान है कि निवारक निरोध का सहारा कार्यपालिका द्वारा केवल संदेह पर और एहतियात के रूप में लिया जा सकता है ताकि उस व्यक्ति द्वारा गतिविधियों को रोका जा सके, जिसे हिरासत में लिया जाना चाहिए, जो वैध रूप से अधिनियमित कानून में पता लगाने योग्य कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रतिकूल है।चूँकि निवारक निरोध के आदेश में केवल संदेह के आधार पर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण करने का प्रभाव होता है और इसे दंडात्मक के रूप में नहीं देखा जाता है, और जिन तथ्यों पर निवारक निरोध का आदेश देने के लिए निरोधक प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि आधारित है, वे न्यायसंगत नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यह संवैधानिक न्यायालयों के लिए यह जांच करने के लिए खुला नहीं है कि क्या निरोधक प्राधिकरण ने तथ्य के हर प्रश्न पर गलती से या सही तरीके से संतुष्टि प्राप्त की है और/या निरोध का आदेश पारित किया है जो तथ्यों पर न्यायसंगत नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राहत देने के लिए अधिकार क्षेत्र को कम किया जाता है, यह केवल उचित और उचित है कि इस तरह की कठोर शक्ति का उपयोग न केवल उचित मामलों में किया जाता है, बल्कि जिम्मेदारी, तर्कसंगत और यथोचित रूप से भी किया जाता है।के आदेश के कारण स्वतंत्रता के नुकसान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए

4 ए. आई. आर 1974 एस. सी. 2154 969

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 970

निरोधात्मक निरोध को लागू किया जा रहा है, बिना निरोध को अपना मामला रखने का कोई अवसर दिया जा रहा है, संवैधानिक न्यायालयों ने मौलिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते, हालांकि, उन किसी भी दोष से पर्याप्त निरोध के आदेशों को रोकने में कभी संकोच नहीं किया है, जिनके अस्तित्व पर न्यायिक समीक्षा की ऐसी सीमित अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है।
11. इस स्तर पर, निवारक निरोध के आदेश की न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा को रेखांकित करने वाले कुछ अधिकारियों का सर्वेक्षण अप्रभावी नहीं हो सकता है।12. माननीय एच. जे. द्वारा लिखित निर्णय के पैराग्राफ 2 को पढ़ना।

कनिया, सी. जे., ने खुलासा किया कि ए. के. गोपालन बनाम। मद्रास राज्य 5 पहला मामला था।

जहाँ मौलिक अधिकारों पर विभिन्न अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चर्चा के लिए आए।निवारक निरोध अधिनियम, 1950 ("निरोध अधिनियम", इसके बाद) के तहत निरोध का आदेश दिया गया था।याचिकाकर्ता ने इसमें अधिनियम के अधिकारों के साथ-साथ निरोध आदेश को भी चुनौती दी।भारत के गणराज्य बनने के 4 (चार) महीनों के भीतर दिए गए 6 (छह) माननीय न्यायाधीशों के पूर्ण पूरक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक शाब्दिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 को सीमित करने के दृष्टिकोण को प्रकट किया।

तब से यह न्यायालय रुस्तमजी कवासजी कूपर बनाम भारत संघ 6

उन्होंने अभिनिर्धारित किया है कि "ए. के. गोपालन मामले में यह धारणा कि संविधान के कुछ अनुच्छेद विशेष रूप से विशिष्ट मामलों से संबंधित हैं और यह निर्धारित करने में कि क्या व्यक्ति के गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, केवल राज्य की कार्रवाई के उद्देश्य और रूप पर विचार करने की आवश्यकता है, और सामान्य रूप से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर कानूनों के प्रभाव को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है", और यह स्थापित कानून होने के कारण कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के लिए किसी व्यक्ति की नई जरूरतों को अब अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में दावा किया जा सकता है और इन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 14 और 19 को संतुष्ट नहीं करने वाले कानून या कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, हमें ए. के. गोपाल में व्यक्त दृष्टिकोण से बिल्कुल भी निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है।ए. के. गोपालन (उपरोक्त) का निर्णय इस न्यायालय द्वारा संविधान की शुरुआत में तत्कालीन सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जब संविधान की सही और सही व्याख्या अभी आकार नहीं ले रही थी और इस मुद्दे पर किसी भी मिसाल के लाभ के बिना, जो माननीय न्यायाधीशों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की अनुमति देता है।

5 ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27 6 ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 564

और इस तरह उत्तराधिकारियों के लिए संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के गतिशील पहलुओं को विकसित करना आसान हो जाता है।

13. शिबबन लाल सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 7 में यह न्यायालय

माननीय बी. के. मुखर्जी, जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए निरोध अधिनियम के तहत निवारक निरोध के आदेश को यह तर्क देते हुए रद्द कर दिया कि यदि निरोध का आदेश देने के लिए दो आधारों में से एक अवैध था, तो निरोध का आदेश दूसरे आधार पर जीवित नहीं रह सकता था।कानून निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया थाः

“8. विद्वान वकील द्वारा उठाया गया पहला तर्क, हालांकि, कुछ हद तक महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है।इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3 के तहत निरोध आदेश जारी करने की शक्ति पूरी तरह से उस धारा में निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करती है।उन आधारों की पर्याप्तता, जिन पर ऐसी संतुष्टि आधारित होने का तात्पर्य है, बशर्ते कि उनका एक तर्कसंगत संभावित मूल्य हो और वे विधायी प्रावधान के दायरे या उद्देश्य के लिए बाहरी न हों, को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सिवाय दुर्भावनापूर्ण आधार के।कानून की अदालत उन तथ्यों की सच्चाई या अन्यथा जांच करने के लिए भी सक्षम नहीं है जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 7 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भेजे गए पत्र में हिरासत के आधार के रूप में किया गया है। हालाँकि, इस मामले में जो हुआ है वह कुछ अजीब है।सरकार ने स्वयं अपने दिनांक 1 के संचार में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिन आधारों पर निरोध का मूल आदेश पारित किया गया था, उनमें से एक आधार अप्रासंगिक या अस्तित्वहीन है और इसे निरोध का आधार नहीं बनाया जा सकता है।सवाल यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत दिए गए मूल आदेश को कायम रहने दिया जा सकता है।जवाब, हमारी राय में, केवल नकारात्मक में हो सकता है।निरोध प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के लिए यहां दो आधार दिए।हम न तो यह तय कर सकते हैं कि ये आधार अच्छे हैं या बुरे, न ही हम यह आकलन करने का प्रयास कर सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक आधार किस तरीके से और किस हद तक उपयुक्त प्राधिकारी के दिमाग में काम करता है और संतुष्टि के निर्माण में योगदान देता है जिसके आधार पर निरोध आदेश दिया गया था।

7 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 17971

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 972

यह कहना कि दूसरा आधार, जो अभी भी बचा है, आदेश को बनाए रखने के लिए काफी पर्याप्त है, कार्यकारी प्राधिकरण के व्यक्तिपरक निर्णय के लिए एक वस्तुनिष्ठ न्यायिक परीक्षण को प्रतिस्थापित करना होगा जो क़ानून में अंतर्निहित विधायी नीति के खिलाफ है।ऐसे मामलों में, हम सोचते हैं कि स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि इन दो आधारों में से एक अधिनियम के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक था या पूरी तरह से भ्रामक था और यह समग्र रूप से निरोध आदेश को दूषित कर देगा।***"

14. रामेश्वर शॉ बनाम जिला मजिस्ट्रेट 8 में, एक संविधान पीठ

माननीय पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए निरोध अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित निरोध के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः

"7. इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि धारा 3 (1) (ए) के खंड (i) से (iii) के आवेदन पर विचार करते समय निरोध को प्रस्तुत किए गए आधारों में से कोई भी अप्रासंगिक पाया जाता है और उस अर्थ में अधिनियम के लिए विदेशी है, तो निरोध का आदेश जिस पर आधारित है, उस निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि को चुनौती दी जा सकती है और निरोध आदेश को रद्द किया जा सकता है।इसी तरह, यदि बंदी को प्रदान किए गए कुछ आधार इतने अस्पष्ट हैं कि वे वस्तुतः बंदी को एक अभ्यावेदन देने के उसके वैधानिक अधिकार से वंचित कर देंगे जो फिर से उसकी नजरबंदी के क्रम में एक गंभीर असंवेदनशीलता की शुरुआत कर सकता है।तथापि, यदि वे आधार जिनके आधार पर निरोध का आदेश धारा 3 (1) (ए) के तहत विचार किए जाने वाले मामलों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हैं, तो निरोध के आदेश को यह तर्क देकर चुनौती देने के लिए मुक्त नहीं होगा कि निरोध करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि उक्त आधारों में से किसी पर भी यथोचित रूप से आधारित नहीं है।

8. तथापि, इस संबंध में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि यद्यपि धारा 3 (1) (क) द्वारा अनुध्यात निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि उक्त प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि है, ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां निरोधार्थी अपनी निरोध की वैधता को दुर्भावना के आधार पर चुनौती दे सकता है और उक्त याचिका के समर्थन में आग्रह कर सकता है कि अन्य तथ्यों के साथ जो दुर्भावना को दर्शाते हैं, न्यायालय उसकी शिकायत पर भी विचार कर सकता है कि उस पर दिए गए आधार संभवतः या तर्कसंगत रूप से निरोध द्वारा उसके खिलाफ निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

8 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 334

प्राधिकरण।यह केवल इस आनुषंगिक तरीके से और दुर्भावनापूर्ण याचिका के समर्थन में है कि यह प्रश्न न्यायोचित हो सकता है; अन्यथा धारा 3 (1) (ए) द्वारा विचार की गई उक्त संतुष्टि की तर्कसंगतता या औचित्य पर न्यायालयों के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।"

15. अपने काउंटर एफ़ी डेविट में (pgs पर। 10 और 11) विशेष अनुमति याचिका के लिए, आयुक्त ने खुदीराम दास बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 8 से एक मार्ग का उल्लेख किया और निकाला। पश्चिम बंगाल राज्य 9, जिसमें इस न्यायालय के 4 (चार) माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 ("मीसा", इसके बाद) की धारा 3 के तहत पारित निरोध के आदेश को चुनौती देने की जांच कर रही थी।हम यह उचित समझते हैं कि माननीय पी. एन. भगवती, जे. द्वारा दिए गए निर्णय के न केवल पैराग्राफ 8 पर ध्यान दिया जाए, बल्कि पैराग्राफ 9 पर भी ध्यान दिया जाए, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएः

"8. अब धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) की भाषा के स्पष्ट अध्ययन पर यह स्पष्ट है कि निरोध की शक्ति का प्रयोग निरोध प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से, जैसा कि उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखना आवश्यक है।धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) में उपयोग किए गए शब्द 'यदि संतुष्ट हैं' हैं और वे स्पष्ट रूप से निरोध का

आदेश दिए जाने से पहले निरोध प्राधिकारी की ओर से व्यक्तिपरक संतुष्टि का संकेत देते हैं।और यह एक वैध कारण के लिए प्रदान किया गया है जो स्पष्ट हो जाता है यदि हम निरोध की शक्ति की प्रकृति और उन शर्तों पर विचार करते हैं जिन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है।निरोध की शक्ति स्पष्ट रूप से एक निवारक उपाय है।यह किसी भी तरह से सजा की प्रकृति में भाग नहीं लेता है।यह समुदाय में गड़बड़ी को रोकने के लिए सावधानी के रूप में लिया जाता है।चूँकि प्रत्येक निवारक उपाय इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति को कुछ ऐसा करने से रोका जाना चाहिए जो, यदि स्वतंत्र और निरंकुश छोड़ दिया जाता है, तो यह उचित रूप से संभव है कि वह करेगा, यह आवश्यक रूप से सभी मामलों में, कुछ हद तक, संदेह या प्रत्याशा पर आगे बढ़ना चाहिए जो सबूत से अलग है।पतंजलि शास्त्री, सी. जे. ने मद्रास राज्य बनाम वी. जी. पंक्ति [(1952) 1 एस. सी. सी. 410 में बतायाःए. आई. आर 1952 एस. सी 196:1952

9 (1975) 2 एससीसी 81 973

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 974

एस. सी. आर. 597] कि निवारक निरोध 'काफी हद तक एहतियाती और संदेह पर आधारित' है और इन टिप्पणियों में रेक्स बनाम हैलिडे [1917 ए. सी. 260] में लॉर्ड फिनले की टिप्पणियों के संदर्भ में उस मामले में विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्द जोड़े जा सकते हैं, अर्थात्, 'संदेह की परिस्थितियों की जांच करने के लिए न्यायालय सबसे कम उपयुक्त न्यायाधिकरण था, जिस पर ऐसी अग्रिम कार्रवाई काफी हद तक आधारित होनी चाहिए'।यह कार्यवाही की प्रकृति होने के कारण, यह कल्पना करना असंभव है कि इसे संभवतः वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सक्षम कैसे माना जा सकता है।निरोध प्राधिकारी द्वारा जिन मामलों पर विचार किया जाना है, वे हैं कि क्या संबंधित व्यक्ति, आसपास की परिस्थितियों और अन्य प्रासंगिक सामग्री के आलोक में निर्णय लिए गए अपने पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए, धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (1) के किसी भी उप-खंड (i), (ii) और (iii) में विचार किए गए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने की संभावना होगी, और यदि ऐसा है, तो क्या उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में रखना आवश्यक है।ये वस्तुनिष्ठ निर्धारण के लिए अतिसंवेदनशील मामले नहीं हैं और इन्हें वस्तुनिष्ठ मानकों द्वारा आंका नहीं जा सकता है।ये अनिवार्य रूप से ऐसे मामले हैं जिन्हें प्रशासनिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।इसलिए, उनका दृढ़ संकल्प जानबूझकर और सलाह के साथ विधानमंडल द्वारा हिरासत में लिए गए प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया जाता है, जो अपनी विशेष स्थिति, अनुभव और विशेषज्ञता के कारण उन्हें तय करने के लिए सबसे अच्छा होगा।इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि इन मामलों के संबंध में निरोध प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि निरोध की शक्ति के प्रयोग के लिए आधार है और न्यायालय को उन आधारों की औचित्य या पर्याप्तता पर विचार करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता है जिन पर निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि आधारित है।न्यायालय, आधारों की समीक्षा पर, प्राधिकरण के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस शर्त को निरोध की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती बनाया गया है, वह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निरोध की आवश्यकता का वस्तुनिष्ठ निर्धारण नहीं है, बल्कि निरोध प्राधिकारी की व्यक्तिपरक राय है, और यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निरोध की आवश्यकता के संबंध में निरोध प्राधिकारी द्वारा एक व्यक्तिपरक राय बनाई जाती है, तो निरोध की शक्ति के प्रयोग की शर्त को पूरा किया जाएगा।यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि निरोध की शक्ति अर्ध-न्यायिक शक्ति नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

9. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त है।न्यायालयों ने न्यायिक निर्णयों द्वारा एक ऐसा क्षेत्र बनाया है, जो सीमित है, हालाँकि इसके भीतर व्यक्तिपरक संतुष्टि की वैधता अभी भी न्यायिक जांच के अधीन हो सकती है।जिस मूल अभिधारणा पर न्यायालयों ने कार्यवाही की है, वह यह है कि कार्यपालिका को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होने के कारण व्यक्तिपरक संतुष्टि, न्यायालय हमेशा इस बात की जांच कर सकता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त की गई हैःयदि ऐसा नहीं होता है, तो शक्ति के प्रयोग की पूर्व शर्त पूरी नहीं होगी और शक्ति का प्रयोग खराब होगा।न्यायिक निर्णयों द्वारा यह कहने के लिए कई आधार विकसित किए गए हैं कि प्राधिकरण द्वारा कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं प्राप्त की जाती है जैसा कि क़ानून के तहत आवश्यक है।सबसे सरल मामला यह है कि क्या प्राधिकरण ने अपने दिमाग को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है; ऐसे मामले में प्राधिकरण को संभवतः उस तथ्य के संबंध में संतुष्ट नहीं किया जा सकता है जिसके संबंध में उसे संतुष्ट करने की आवश्यकता है।सम्राट बनाम शिबनाथ बनर्जी [ए. आई. आर. 1943 एफ. सी. 75:1944 एफसीआर 1:45 सी. आर. आई. एल. जे. 341] एक उदाहरण है।तब ऐसा मामला

हो सकता है जहाँ शक्ति का प्रयोग बेईमानी से या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जाता है:ऐसा मामला प्राधिकरण की ओर से संतुष्टि के अस्तित्व को भी नकारात्मक बना देगा।'अनुचित उद्देश्य' के अस्तित्व, यानी एक ऐसा उद्देश्य जिस पर क़ानून द्वारा विचार नहीं किया गया है, को कई निश्चित मामलों में नियंत्रण के एक स्वतंत्र आधार के रूप में मान्यता दी गई है।इसके अलावा, संतुष्टि स्वयं प्राधिकरण की संतुष्टि होनी चाहिए, और इसलिए, यदि, शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने किसी अन्य निकाय के आदेश के तहत काम किया है जैसा कि पुलिस आयुक्त ने पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भंजी [1951 एससीसी 1088:ए. आई. आर. 1952 एससी 16:1952 एस. सी. आर. 135] और श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय के अधिकारियों ने सिम्स मोटर यूनिट्स लिमिटेड बनाम.श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्री [(1946) 2 सभी ई. आर. 201] शक्ति का प्रयोग खराब होगा और इसी तरह शक्ति का प्रयोग भी दूषित हो जाएगा जहां प्राधिकरण ने नीति के स्व-निर्मित नियमों या किसी अन्य तरीके से प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाने से खुद को अक्षम कर लिया है।कहा जाता है कि प्राधिकरण द्वारा जिस संतुष्टि पर पहुंचा गया है, वह भी खराब होगी जहां यह गलत परीक्षण के आवेदन या कानून के गलत निर्माण पर आधारित है।जहां ऐसा होता है, प्राधिकरण की संतुष्टि 975 में बात के संबंध में नहीं होगी।

जिसके संबंध में इसे संतुष्ट करना आवश्यक है।फिर से संतुष्टि 'उन सामग्रियों पर आधारित होनी चाहिए जो तर्कसंगत रूप से संभावित मूल्य की हैं'।मछिंदर बनाम किंग [ए. आई. आर. 1950 एफ. सी. 129:51 क्रि एल. जे. 1480:1949 एफसीआर 827]।जिन आधारों पर संतुष्टि आधारित है, वे ऐसे होने चाहिए जैसे कि एक तर्कसंगत व्यक्ति उस तथ्य से जुड़े होने पर विचार कर सके जिसके संबंध में संतुष्टि प्राप्त की जानी है।वे जांच के विषय के लिए प्रासंगिक होने चाहिए और क़ानून के दायरे और उद्देश्य के लिए बाहरी नहीं होने चाहिए।यदि प्राधिकरण ने ध्यान में रखा है, तो यह सर्वोत्तम इरादे के साथ भी हो सकता है, एक प्रासंगिक कारक के रूप में कुछ ऐसा जिसे वह यह तय करने में ठीक से ध्यान में नहीं रख सकता है कि शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं या जिस तरीके या सीमा तक इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो शक्ति का प्रयोग बुरा होगा।प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 72:(1964) 4 एस. सी. आर. 733]यदि कानून में स्पष्ट रूप से या निहितार्थ वाले मामले पाए जाते हैं जिन्हें प्राधिकरण को ध्यान में रखना चाहिए, तो, शक्ति का प्रयोग करते समय, प्राधिकरण को उन मामलों को ध्यान में रखना चाहिए।प्राधिकरण को उन मामलों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिन पर वह विचार करने के लिए बाध्य है।" (हमारा रेखांकित करना, जोर देने के लिए)

16. इच्छू देवी चोरारिया बनाम भारत संघ 10 में, न्यायिक

अवैध निरोध को समाप्त करने की प्रतिबद्धता, भले ही जिस याचिका पर नियम जारी किया गया था, उसमें आवश्यक अभिवचन नहीं थे, निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया गया था:

"5.*** जहां बड़ी संख्या में लोग गरीब, अनपढ़ और अज्ञानी हैं और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अदालतों तक पहुंच आसान नहीं है, वहां इस बात पर जोर देना सबसे अधिक अनुचित होगा कि याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से उन आधारों को निर्धारित करना चाहिए जिन पर वह निरोध के आदेश को चुनौती देता है और एक नियम जारी होने से पहले उन आधारों के समर्थन में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाना चाहिए या यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि निरोध प्राधिकारी को याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए चुनौती के विशिष्ट आधारों को पूरा करने के अलावा कुछ भी करने के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए।यह दिखाने का भार कि निरोध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है, इस न्यायालय द्वारा हमेशा निरोध प्राधिकरण पर रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद

10 (1980) 4 एस. सी. सी. 531

21 संविधान में स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में प्रावधान किया गया है कि किसी को भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस संवैधानिक अधिकार को इस न्यायालय द्वारा इतने उच्च स्तर पर रखा गया है कि उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जब भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई वंचितता होती है, तो इस तरह के वंचितता के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए

कि उसने कानून के अनुसार काम किया है।यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अदालत कानून की आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने में सबसे सख्त और ईमानदार रही है, और यहां तक कि जहां कानून की आवश्यकता का थोड़ा भी उल्लंघन किया जाता है, अदालत ने हिरासत के आदेश को रद्द करने या हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का निर्देश देने में संकोच नहीं किया है, भले ही उल्लंघन होने तक हिरासत वैध रही हो।अदालत ने हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानव जाति का सबसे कीमती अधिकार माना है और एक संभावित विद्रोही की रिहाई में शामिल सामाजिक कीमत की परवाह किए बिना अवैध हिरासत को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है।"

(हमारा उल्लेख, जोर देने के लिए) 17.एक अलग संदर्भ में, हम समा अरुणा बनाम में निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं। तेलंगाना राज्य 11 जहाँ, एस. ए. बोबडे, जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए कहाः

“16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतीत में बंदी के आचरण या गतिविधियों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल होने या तैयारी करने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों के एक पैटर्न का पालन करते हैं।लेकिन सवाल यह है कि कितना दूर?इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल अब तक की गतिविधियों को ही वर्तमान में निवारक निरोध का कारण माना जा सकता है।अर्थात्, केवल उन गतिविधियों को ध्यान में रखा जा सकता है जो अब तक अतीत में इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि उनके निकट भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने या शामिल होने की तैयारी करने की संभावना है।"

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उसमें निरोध का आदेश बासी आधारों पर आधारित था, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

11 (2018) 12 एससीसी 150 977

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 978

“निरोध आदेश आसपास की परिस्थितियों के आलोक में अपने पिछले आचरण के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार के उचित पूर्वानुमान पर आधारित होना चाहिए।किसी व्यक्ति के पिछले आचरण और उसे हिरासत में लेने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच मौजूद जीवित और निकट संबंध को इस मामले में तोड़ दिया जाना चाहिए।एक निरोध आदेश जो पुरानी घटनाओं पर आधारित है, उसे बिना मुकदमे के पारित किए गए अपराध के लिए सजा के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि यह निवारक निरोध का आदेश माना जाता है।निवारक निरोध की आवश्यक अवधारणा यह है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना उसे उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए है।"

(हमें रेखांकित करते हुए, जोर देने के लिए) 18.इसे इस न्यायालय द्वारा खाजा बिलाल अहमद बनाम तेलंगाना राज्य 12 के मामले में आगे जोड़ा गया था, जहां अधिनियम के तहत जारी 2 नवंबर, 2018 के निरोध आदेश में 2007-2016 के वर्षों से अपीलार्थी-डिटेनु से जुड़े मामलों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया था, जबकि अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि ऐसे मामलों पर आधारित नहीं थी।इस तरह के आदेश को रद्द करते हुए, माननीय डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहाः

“23. *** यदि लंबित मामलों को निरोध का आदेश पारित करने के लिए विचार नहीं किया गया था, तो यह तर्क की अवहेलना करता है कि उन्हें निरोध के क्रम में प्रथम स्थान पर क्यों भेजा गया था।तेलंगाना ऑफ एंडर्स एक्ट 1986 का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकना है।इस उद्देश्य के लिए, धारा 3 में निर्धारित किया गया है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को संतुष्ट किया जाना चाहिए कि हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति के भविष्य में अवैध गतिविधियों में लिप्त होने और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने की संभावना है।बंदी प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली संतुष्टि अप्रासंगिक या अमान्य आधारों पर आधारित नहीं होनी चाहिए।यह प्रासंगिक सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए; ऐसी सामग्री जो बासी नहीं है और जिसका हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के साथ सीधा संबंध है।निरोध का आदेश पिछले आपराधिक पूर्ववृत्त को केवल तभी संदर्भित कर सकता है जब उनका किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की तत्काल आवश्यकता के साथ सीधा संबंध या संबंध हो।यदि अपीलार्थी की पिछली आपराधिक गतिविधियाँ हो सकती हैं

12 (2020) 13 एस. सी. सी. 632

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने की उसकी प्रवृत्ति या झुकाव को इंगित करता है, तो इसका प्रभाव हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पड़ सकता है।हालांकि, कारण संबंध के स्पष्ट संकेत के अभाव में, केवल लंबित आपराधिक मामलों का संदर्भ धारा 3 की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है।यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए खुला नहीं है कि वह केवल पुरानी घटनाओं का उल्लेख करे और उन्हें हिरासत के आदेश के आधार के रूप में रखे।इस तरह की बासी सामग्री का भविष्य में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

(बोल्डिन ओरिजिनल) (जोर देने के लिए, हमें रेखांकित करते हुए) 19.हम इसके संविधान पीठ के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं।

सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ 13 में न्यायालय जिसमें

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के रूप में प्रदान की गई समयसीमा का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

“11. *** जिस व्यक्ति के खिलाफ निरोध का आदेश पारित किया गया है, उसके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय सीमित हैं और इसलिए, अदालतों ने हमेशा यह माना है कि कानून द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।समय-सीमा बनाए रखने में किसी भी चूक को निरोध आदेश या निरंतर निरोध, जैसा भी मामला हो, अवैध माना गया है।निवारक निरोध की आवश्यकता होने के कारण किसी व्यक्ति को तभी तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक उसे हिरासत में रखना आवश्यक हो।यदि उसकी नजरबंदी अनावश्यक पाई जाती है, तो कानून के तहत अनुमत अधिकतम अवधि के दौरान भी उसे नजरबंदी से तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।यह वास्तव में इस संदर्भ में है कि धारा 10 और विशेष रूप से 'हिरासत में लिया जा सकता है' शब्दों की व्याख्या करनी होगी।"

20. ऊपर उल्लिखित निर्णयों और निवारक निरोध पर अन्य निर्णयों के संदर्भ में, हम यहां यह देख सकते हैं कि संविधान के शुरुआती दिनों में हिरासत में लिए गए अधिकारियों की ओर से आम तौर पर जो तर्क दिया जाता था, वह यह था कि न्यायालय की जांच इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि क्या हिरासत का आदेश है या नहीं और जिस क्षण ऐसा आदेश, उसके चेहरे पर अच्छा है, प्रस्तुत किया जाता है, सद्भावना में सभी जांच, कारणों की पर्याप्तता।

13 (2000) 3 एससीसी 409 979

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 980

या कार्रवाई की वैधता या अवैधता समाप्त हो जाती है।हालांकि, समय बीतने के साथ, और कानून के विस्तार और विकास के साथ, यह अब कानून नहीं है कि एक निवारक निरोध कार्रवाई, चाहे वह उसके चेहरे पर कितनी भी वैध दिखाई दे, संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अमान्य नहीं की जा सकती है।ऐसा इसलिए है, क्योंकि वर्तमान में, उन विषयों के अधिकारों को लागू करने वाला कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है जो वैध रूप से एक सुरक्षात्मक कवच द्वारा अभेद्य रूप से संरक्षित होने का दावा कर सकते हैं, जिसे न्यायिक जांच भेद नहीं कर सकती है।

21. उपरोक्त निर्णयों के अलावा, इस न्यायालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई निर्णय दिए गए हैं जो वर्तमान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं; हालाँकि, हम इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करके इस चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं जो एक दशक से थोड़ा अधिक समय पहले 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था।

22. रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य 14 में, इस न्यायालय ने कहा किः

“21. यह कहना बहुत अच्छा है कि निवारक निरोध निवारक है न कि दंडात्मक।हालाँकि, इस मामले की सच्चाई यह है कि एक साल (या किसी अन्य अवधि) का निरोध आदेश एक साल के कारावास की सजा है।बंदी के लिए यह क्या अंतर है कि उसकी कैद को निवारक या दंडात्मक कहा जाता है?

(मूल में इटैलिक)

***

29. निवारक निरोध, स्वभाव से, लोकतांत्रिक विचारों के प्रतिकूल और कानून के शासन के लिए एक अभिशाप है।संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में (युद्ध के समय को छोड़कर) ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है।हालाँकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) निवारक निरोध की अनुमति देता है, इसलिए हम इसे अवैध नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही संकीर्ण सीमाओं के भीतर निवारक निरोध की शक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के महान अधिकार को छीन लेंगे जो लंबे, कठिन और ऐतिहासिक संघर्षों के बाद जीता गया था। इसलिए, यह इस प्रकार है कि यदि देश का सामान्य कानून (दंड संहिता और अन्य दंडात्मक कानून) किसी स्थिति से निपट सकता है, तो निवारक निरोध कानून का सहारा लेना अवैध होगा।"

14 (2011) 5 एससीसी 244

23. इस विचार प्रक्रिया में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हालांकि कार्यपालिका निवारक निरोध कानूनों के तहत एक निवारक या एहतियाती उपाय के रूप में एक आदेश पारित करेगी, लेकिन इसके प्रभाव को बंदियों के दृष्टिकोण से सरल और स्पष्ट रूप से दंडात्मक माना जाता है।विशेष रूप से, निरोध का आदेश एक कथित अपराध से संबंधित नहीं है जिसे एक अदालत जब्त कर लेती है और इस प्रकार, शिकायत किए गए अभियुक्त का आचरण अभी तक दोषपूर्ण नहीं पाया गया है; इसके विपरीत, चूंकि यह पिछले आचरण के आधार पर एक प्रत्याशित अपराध से संबंधित है, इसलिए बंदी अच्छी तरह से महसूस कर सकता है कि वह किसी भी पिछले अवसर पर कानून के गलत पक्ष में साबित नहीं होने के बावजूद कार्यपालिका की व्यक्तिपरक संतुष्टि के अंत में है।यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है और विरोध या विरोध करने का अवसर न मिलने पर जेल में गिर जाता है, तो इस प्रत्याशा के आधार पर कि उसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, हिरासत के क्रम में निर्दिष्ट अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखे जाने की स्थिति एक ऐसा पहलू प्रतीत होती है जो हमारे अपने संविधान के मानदंडों और लोकाचार और इस न्यायालय के निर्णयों के साथ तालमेल नहीं रखता है जिसमें 'जीवन' की अवधारणा को इस तरह से समझाया गया है कि 'जीवन' को शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 21 के पत्रों में (सामान्य कारण बनाम भारत संघ 15 देखें)।

फिर भी, जब तक संविधान के अनुच्छेद 22 का खंड (3) स्वयं निरोधात्मक उपाय के रूप में निरोध को अधिकृत करता है, तब तक कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कोई भी इस तरह के उपाय को अपनाने के लिए अपवाद नहीं ले सकता है और यह केवल संवैधानिक न्यायालयों द्वारा एक सीमित न्यायिक समीक्षा है जिसका आग्रह एक पीड़ित बंदी द्वारा किया जा सकता है, जहां निवारक निरोध के आदेशों की चुनौतियों की जांच करने में भी, अदालतें निरोधक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए हस्तक्षेप करने या अपने स्वयं के तर्क को प्रतिस्थापित करने के लिए अनिच्छुक होंगी।चूँकि निवारक निरोध कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं है, बल्कि निवारक और एहतियाती है, आमतौर पर इसे निरोधक प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

24. हालाँकि, हम यहाँ यह देखने में जल्दबाजी करते हैं कि यद्यपि रेखा (उपरोक्त) में निर्णय निवारक निरोध कानूनों का सहारा लेकर बिना मुकदमे के स्वतंत्रता के नुकसान के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रतिबिंबित करता है, लेकिन हरधन साहा (उपरोक्त) में संविधान पीठ का निर्णय अभी भी प्रासंगिक है और रेखा (उपरोक्त) में विद्वान न्यायाधीश इस हद तक असंगत हैं कि

15 (1999) 6 एससीसी 667 981

हरधन साहा (ऊपर) में निर्धारित कानून को हमारे द्वारा कानून की सही व्याख्या के रूप में स्वीकार करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

25. चाहे जो भी हो, अन्य मामलों में सभी प्रासंगिक निर्णयों के कारण कानून के सिद्धांतों को हटाते हुए, निवारक निरोध के आदेश की वैधता तय करने के लिए कानून के बारे में हमारी समझ यह है कि ऐसे आदेश पर हमला करने के लिए उचित अभिवचनों के बिना भी, यदि परिस्थितियां नज़रबंद करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों की गलत धारणा के बारे में संदेह पैदा करती हैं, तो न्यायालय को अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए; यहां तक कि सामग्री की पर्याप्तता की जांच करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, अदालत द्वारा उसकी शक्ति के बारे में प्राधिकरण की धारणाओं की जांच की जा सकती है।पर्याप्तता या अन्यथा उन सामग्रियों के बारे में दूर से चिंतित हुए बिना, जिन पर निरोध का आदेश दिया गया है, न्यायालय को आदेश से ही सबूत पर एक निष्कर्ष निकालने के लिए उचित ठहराया जाएगा, कि निरोधक प्राधिकरण अपनी शक्तियों की सीमा का एहसास करने में विफल रहा।यह पर्याप्त सामग्री की कमी के लिए कार्रवाई पर सवाल उठाने से काफी अलग है जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के सामने थी।निरोध का अधिकार स्वयं निरोध का आदेश है, जिसे बंदी या न्यायालय पढ़ सकता है।आदेश के इस तरह के पढ़ने से पता चलता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधि को हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल माना गया था और वास्तव में उसका क्या इरादा था, उसे होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का कोई भी आदेश जो यह दर्शाता है कि वह उसकी शक्तियों से परे है, जैसा कि वास्तव में प्रदान किया गया है, शासी निवारक हिरासत कानून के तहत किए गए एक वैध आदेश के बराबर नहीं होगा और एक चुनौती दिए जाने पर असुरक्षित होगा।किसी मामले की परिस्थितियों में, एक संवैधानिक न्यायालय को जब निवारक निरोध के आदेशों की वैधता का परीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है, तो वह इस बात की जांच करने का हकदार होगा कि क्या

(i) आदेश बंदी प्राधिकारी की अपेक्षित संतुष्टि पर आधारित है, भले ही व्यक्तिपरक हो, क्योंकि तथ्य या कानून के किसी मामले के अस्तित्व के बारे में ऐसी संतुष्टि का अभाव, जिस पर शक्ति के प्रयोग की वैधता की भविष्यवाणी की जाती है, शक्ति के प्रयोग को संतुष्ट नहीं करने के लिए अनिवार्य होगा।

((ख) इस तरह की अपेक्षित संतुष्टि तक पहुँचने के लिए, निरोध प्राधिकारी ने सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाया है और यह कानून के दायरे और उद्देश्य के लिए बाहरी सामग्री पर आधारित नहीं है।

((ग) शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है, या एक अनुचित उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है, जो क़ानून द्वारा अधिकृत नहीं है, और इसलिए यह अधिकार से बाहर है;

((iv) निरोध प्राधिकारी ने स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य निकाय के आदेश के तहत कार्य किया है;

(v) हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने, नीति के स्व-निर्मित नियमों के कारण या किसी अन्य तरीके से जो शासी क़ानून द्वारा अधिकृत नहीं है, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाने से खुद को अक्षम कर लिया है;

((vi) निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि उन सामग्रियों पर निर्भर करती है जो तर्कसंगत रूप से संभावित मूल्य की हैं, और निरोध प्राधिकारी ने वैधानिक अधिदेश के अनुसार मामलों को उचित सम्मान दिया है;

(vii) किसी व्यक्ति के पिछले आचरण और उसे हिरासत में लेने की अनिवार्य आवश्यकता या बासी सामग्री पर आधारित होने के बीच एक जीवित और निकट संबंध के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए संतुष्टि प्राप्त की गई है;

(viii) अपेक्षित संतुष्टि तक पहुँचने के लिए आधार ऐसे हैं जिन्हें कोई व्यक्ति, कुछ हद तक तर्कसंगतता और विवेक के साथ, तथ्य से जुड़ा हुआ और जांच के विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक मानेगा, जिसके संबंध में संतुष्टि प्राप्त की जानी है।

((ix) जिन आधारों पर निवारक निरोध का आदेश निहित है, वे अस्पष्ट नहीं हैं, बल्कि सटीक, प्रासंगिक और प्रासंगिक हैं, जो पर्याप्त स्पष्टता के साथ, निरोध के लिए संतुष्टि की सूचना देते हैं, जिससे उसे एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है; और

(x) कानून के तहत दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन किया गया है।

यदि न्यायालय ऊपर उल्लिखित परीक्षणों में से किसी को लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग खराब और/या दूषित करने के लिए निर्धारित करता है, तो निरोध आदेश असुरक्षित हो जाता है, जो निस्संदेह कठोर परिणामों के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति का दौरा करता है, गलत को सही करने के लिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता होगी।

983

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 984

विश्लेषण और निर्णय

26. चूंकि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे संदर्भ की सुविधा के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“3. (1) यदि सरकार को किसी भी बूट-लेगर, डकैत, नशीली दवाओं का निर्यातक, गुंडा, अनैतिक तस्करी, लैंड-ग्रैबर, नकली बीज का व्यापार, कीटनाशक का व्यापार, उर्वरक का व्यापार, खाद्य मिलावट का व्यापार, नकली दस्तावेज का व्यापार, अनुसूचित वस्तुओं का व्यापार, वन का व्यापार, जुआ का व्यापार, यौन संबंध, विस्फोटक पदार्थों का व्यापार, हथियार का व्यापार, साइबर अपराध का व्यापार और सफेदपोश या वित्तीय व्यापार के व्यापार के व्यापार के

पर रिहा कर दिया गया है, जबकि अपराध सं. 338/2022 और 227/2022 के संबंध में, उसे गिरफ्तार किए बिना भी आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

29. निरोध आदेश के साथ जिन मुद्दों को हमें संबोधित करने की आवश्यकता है, वे ये हैं:सबसे पहले, क्या कार्य के कथित कार्य जिनके लिए बंदी को हिरासत में रखा गया है, 'सार्वजनिक व्यवस्था' के लिए प्रतिकूल हैं और दूसरा, क्या सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किया गया था या क्या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग में बाहरी कारकों को तौला गया था जिससे यह निष्कर्ष निकला कि बंदी एक आदतन अपराध है और उसके द्वारा आगे के अपराधों की रोकथाम के लिए, उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए।संयोगवश, इस मुद्दे का भी उत्तर दिया जा सकता है कि क्या पहले निरोध के आदेश में विवेक का प्रयोग प्रकट है और फिर अपीलार्थी द्वारा निरोध की ओर से प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति पर 12 (बारह) महीने की अवधि के लिए इस तरह के आदेश को जारी रखते हुए इसे स्वीकार किया जा सकता है।गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर अपील पहले मुद्दे पर सफल होती है तो हमें दूसरे और आनुषंगिक मुद्दों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

30. पहले मुद्दे को संबोधित करते हुए, इसे एक मौलिक अनिवार्यता के रूप में समझना होगा कि इस न्यायालय ने "कानून और व्यवस्था" से संबंधित गड़बड़ी और "सार्वजनिक व्यवस्था" के कारण होने वाली गड़बड़ी के बीच अंतर कैसे किया है।

31. यह सामान्य बात है कि सभी मामलों में कानून के उल्लंघन से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है।कई निर्णयों में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के बीच के अंतर को नोट किया है।

985

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 986

32. हम इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 16 में, जहां दोनों के बीच अंतर है।

“कानून और व्यवस्था "और" सार्वजनिक व्यवस्था "को माननीय एम. हिदायतुल्ला, जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) द्वारा निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था:“54. *** यदि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है, तो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा होनी चाहिए।शांति के हर उल्लंघन से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है।जब दो शराबी झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते हैं तो अव्यवस्था होती है लेकिन सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है।उनसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है लेकिन इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे।मान लीजिए कि दोनों कट्टरपंथी प्रतिद्वंद्वी समुदायों के थे और उनमें से एक ने सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश की।समस्या अभी भी कानून और व्यवस्था की है लेकिन यह सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका को बढ़ाती है।अन्य उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है।कानून का उल्लंघन हमेशा अधिनियम के आदेश को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, इसे समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करना चाहिए।इस प्रकार भारत रक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए केवल कानून और व्यवस्था में व्यवधान पैदा करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने वाली व्यवधान पर्याप्त हैं।

55. इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि जिस प्रकार इस न्यायालय के निर्णयों में (पहले उद्धृत) 'सार्वजनिक व्यवस्था' को 'राज्य की सुरक्षा' को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझने के लिए कहा गया था, 'कानून और व्यवस्था' भी 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है।तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी।कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।तब यह देखना आसान है कि कोई अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, जैसे कि एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं।” (हमारा उल्लेख करते हुए, जोर देने के लिए) 33।सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक गड़बड़ी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट सी गतिविधि का व्यापक समुदाय या आम जनता पर प्रभाव होना चाहिए, जिससे भय, दहशत या असुरक्षा की भावना पैदा हो।सार्वजनिक शांति के लिए सामान्य अशांति का हर मामला सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है और

16 (1966) 1 एससीआर 709

जैसा कि सी. जे. माननीय एम. हिदायतुल्ला द्वारा व्यक्त किया गया है, पूछा जाने वाला प्रश्न।

अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 17 में यह है:"क्या यह [पढ़िए:द.

समाप्ति अधिनियम] समुदाय के जीवन के वर्तमान में अशांति का कारण बनता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में अशांति पैदा हो या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे समाज की शांति बाधित नहीं होती है?" उस मामले में, याचिका दायर करने वाले बंदी को एक जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से हिरासत में लिया गया था क्योंकि वह युवा लड़कियों को छेड़ने, परेशान करने और छेड़छाड़ करने और एक इलाके के व्यक्तियों पर हमले करने में लिप्त था।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि याचिका दायर करने वाले बंदी का आचरण निंदनीय हो सकता है, आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह (पढ़े:अंतहीन अधिनियम) "उस स्थिति को नहीं जोड़ता है जहां यह कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर समुदाय को परेशान किया जा रहा था या दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की संभावना थी।"विवादित आदेश को रद्द करने की प्रक्रिया में, मुख्य न्यायाधीश ने राम मनोहर लोहिया (उपरोक्त) मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए यह भी फैसला सुनाया कि:

"3. *** कहा जाता था कि सार्वजनिक व्यवस्था कानून और व्यवस्था से अधिक समुदाय को गले लगाती है।सार्वजनिक व्यवस्था समुदाय के जीवन की समान गति है जो देश को एक पूरे या एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में ले जाती है।सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित कार्यों से अलग किया जाना चाहिए जो समाज को सार्वजनिक शांति की सामान्य गड़बड़ी पैदा करने की सीमा तक परेशान नहीं करते हैं।यह किसी इलाके में समुदाय के जीवन पर अशांति का स्तर और इसका प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या अशांति केवल कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के बराबर है।... यह हमेशा नुकसान की मात्रा और समुदाय पर इसके प्रभाव का सवाल होता है।... तथ्यों पर हर मामले में इस सवाल का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसके द्वारा एक मामले को दूसरे से अलग किया जा सके।"

34. कुसो साह बनाम में। बिहार राज्य 18, माननीय वाई. वी. चंद्रचूड़,

जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि:"4. *** इन दोनों अवधारणाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि चोरी और हमले के आवारा और असंगठित अपराध सार्वजनिक व्यवस्था के मामले नहीं हैं क्योंकि वे समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं।

17 (1970) 1 एससीसी 98 18 (1974) 1 एससीसी 195 987

सार्वजनिक जीवन की।कानून के उल्लंघन कुछ हद तक अव्यवस्था का कारण बनते हैं लेकिन कानून के हर उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है।***

6. *** अदालत के मुकदमे की सुरक्षा के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की शक्ति एक उदार निर्माण की अनुमति देने के लिए बहुत कठोर है और इसलिए अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए चतुर होना चाहिए कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है जिनके अधीन अकेले शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।***"

(हमारा उल्लेख करते हुए, जोर देने के लिए) 35।अधिनियम की धारा 3 (1) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, सरकार को एक व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचना होगा कि एक गुंडे को (वर्तमान मामले की तरह) हिरासत में लिया जाना चाहिए, ताकि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोका जा सके।इसलिए, हम सबसे पहले खुद को इस बात की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' क्या है।अधिनियम के प्रावधानों के भीतर भी, "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्द को संकीर्ण और प्रतिबंधित शब्दों में परिभाषित किया गया है।अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत हिरासत का आदेश केवल एक बंदी के खिलाफ जारी किया जा सकता है ताकि उसे हिरासत में लेने से रोका जा सके।

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करना।

"अधिनियम की धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण में सार्वजनिक व्यवस्था को ऐसी स्थितियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो "नुकसान, खतरा या भय या भावना" का कारण बनती हैं।

आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच असुरक्षा या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर व्यापक खतरा।

36. राम मनोहर लोहिया (उपरोक्त) इस प्रस्ताव पर भरोसा करने के लिए एक प्राधिकरण है कि यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी निश्चित आदेश को बनाने की सरल प्रक्रिया द्वारा वैधानिक नियमों के तहत आक्रमण किया जा सकता है, तो उसे केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब आदेश उक्त नियम के अनुरूप हो।ऐसे मामले में नियम के पत्र का कड़ाई से पालन करना मामले का सार होना चाहिए क्योंकि क़ानून में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की क्षमता है और अदालत को अपने चेहरे के पीछे जाने से रोक दिया गया है।हालाँकि परिस्थितियों के कारण बिना मुकदमे के हिरासत का आदेश देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में नियमों का सख्ती से पालन करना पूरी तरह से वैध होगा।यदि कोई संदेह है कि क्या नियमों का सख्ती से पालन किया गया है, तो उस संदेह को बंदी के पक्ष में हल किया जाना चाहिए।

37. रेखा भी (ऊपर) एक उपयोगी मार्गदर्शक प्रदान करती हैं।पैराग्राफ 30 में कहा गया हैः

“30.जब भी किसी निवारक निरोध कानून के तहत किसी आदेश को चुनौती दी जाती है तो अदालत को इसकी वैधता तय करने में एक सवाल पूछना चाहिएःक्या देश का सामान्य कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त था?यदि उत्तर प्रत्यावेदन में है, तो निरोध आदेश अवैध होगा।वर्तमान मामले में, बंदी के खिलाफ आरोप लेबल बदलने के बाद एक्सपायर हो चुकी दवाओं को बेचने का था।निश्चित रूप से दंड संहिता और औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त थे।इसलिए, हमारी राय में, इस कारण से भी विचाराधीन निरोध आदेश अवैध था।"

38. इस स्तर पर, निरोध आदेश के पूर्ववर्ती लेकिन उसमें निर्दिष्ट कुछ घटनाओं पर विचार करना उपयोगी होगा।4 मार्च, 2021 के हिरासत के पहले के आदेश को डिटेनु के पिता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।निरोध का ऐसा आदेश आई. पी. सी. की धारा 420 और 406 के तहत 4 (चार) प्राथमिकियों पर विचार करते हुए पारित किया गया था, जिसमें बंदी को एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था।16 अगस्त, 2021 के अपने तर्कपूर्ण फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय ने कई फैसलों में कहा है कि "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के बीच एक विशाल अंतर है; जब किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ अपराध किए जाते हैं तो यह "कानून और व्यवस्था" के दायरे में आता है, जबकि जब बड़े पैमाने पर जनता किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, तो व्यक्ति के इस तरह के आचरण को "सार्वजनिक व्यवस्था" को बाधित करने वाला कहा जाता है।यह मानते हुए कि 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच सही अंतर केवल अधिनियम की प्रकृति या गुणवत्ता में नहीं है, बल्कि समाज पर इसके प्रभाव की उचित डिग्री और सीमा में निहित है, यह निर्णय दिया गया कि मामले 'सार्वजनिक व्यवस्था' या 'सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी' शब्दों के दायरे में नहीं आते हैं, इसके बजाय, वे 'कानून और व्यवस्था' शब्दों के दायरे में आते हैं, और यह कि विवादित आदेश पारित करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी।इसके आधार पर, विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और बंदी को मुक्त कर दिया गया।

39. वास्तव में, हम जो मानते हैं वह यह है कि उस रिट याचिका में आरोपित निरोध का आदेश उन चीज़ों के बीच अंतर करने में विफल रहा जो "कानून और व्यवस्था" की स्थिति पैदा करते हैं और जो "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।वर्तमान निरोध आदेश बेहतर नहीं है।भले ही निरोध आदेश में संदर्भित ऑफ एनस, कथित रूप से किया गया हो 989

बंदी द्वारा संतुष्टि का निर्माण किया जा रहा है, फिर भी वही अलग और आवारा कार्य हैं जो निजी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं और इसी तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति सार्वजनिक जीवन के समान रूप से प्रभावित नहीं करती है।नाबालिग लड़की के संबंध में अपराध ने कुछ समय के लिए हमारे विचार का प्रयोग किया, लेकिन हमने देखा है कि बंदी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता ("दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 438 के तहत एक आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया था। पीसी, "इसके बाद)।जांच एजेंसी ने इस तरह के आदेश को एक उच्च मंच द्वारा रद्द करने का फैसला नहीं किया है, तथ्यों की अपनी कहानी है।अन्यथा भी, अरुण घोष (ऊपर) में कथित अपराधों की गंभीरता डिग्री में अधिक थी, फिर भी, उन्हें

'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने के रूप में नहीं माना जाता था।एकमात्र अन्य अपराध जो "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल व्यवहार करने" और निवारक निरोध के आदेश की गणना की गई श्रेणी को आकर्षित कर सकता है, यदि बिल्कुल भी हो, तो वह छिटपुट घटना है जिसमें बंदी पर आई. पी. सी. की धारा 353 के तहत आरोप लगाया गया है और जहां पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी पर विचार भी नहीं किया है। पीसी।

40. परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने पर, हमें यह प्रतीत होता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा विचाराधीन ऐसे अपराधों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त है, जो आयुक्त का अनुमान है कि हिरासत में नहीं लिए जाने पर बंदी द्वारा दोहराया जा सकता है।हम यह देखने के लिए भी विवश हैं कि निवारक निरोध कानूनों-एक असाधारण उपाय जो आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए आरक्षित है-को इस मामले में "कानून और व्यवस्था" के प्रवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए था।यह इस कारण से है कि आयुक्त ने 16 अगस्त, 2021 के उच्च न्यायालय के पहले के फैसले और आदेश से अवगत होने के बावजूद "कानून और व्यवस्था" के रखरखाव और "सार्वजनिक व्यवस्था" के रखरखाव के बीच के अंतर की एक बार फिर सराहना किए बिना "सार्वजनिक व्यवस्था" बनाए रखने के लिए निरोध आदेश पारित किया।अतः निरोध का आदेश अक्षम्य है।

41. हम अपना निर्णय यहीं समाप्त कर सकते थे, लेकिन बार में आगे दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम अन्य मुद्दों से भी निपटना चाहते हैं।हम ऐसा करने के लिए राजी हैं, ताकि तेलंगाना राज्य के अधिकारियों को याद दिलाया जा सके कि अधिनियम के कठोर प्रावधानों को किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

42. अब, हम दूसरे मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्या सभी प्रासंगिक परिस्थितियों में विवेक का उचित उपयोग किया गया था या क्या बाहरी कारकों पर विचार ने निरोध आदेश को दूषित कर दिया है।43. अतीत के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, जो निकटवर्ती है, अपने आप में किसी आदेश को अवैध नहीं बनाएगा।निरोध आदेश में आयुक्त ने 10 (दस) आपराधिक कार्यवाहियों को सूचीबद्ध करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक आदतन बंद करने वाले व्यक्ति के रूप में इंगित किया, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 4 मार्च, 2021 के निरोध के आदेश के तहत अधिनियम के तहत निवारक रूप से हिरासत में लिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 16 अगस्त, 2021 के अपने आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।फिर इसमें कहा गया है कि डिटेनू ने वर्षों में 9 (नौ) ऑफ एनस किए थे 2022-23, और इन ऑफ एनस को फिर से विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है।हालांकि, आयुक्त का कहना है कि हिरासत का वर्तमान आदेश इन 9 (नौ) अपराधों में से केवल 5 (एफ. आई. वी.) पर आधारित है, जिन पर यह दिखाने का आरोप है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियाँ "क्षेत्र में शांति और शांति को बिगाड़ने के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।"

44. दिलचस्प बात यह है कि अपने काउंटर एफ़ी डेविट के पैराग्राफ 9 ई में भी, आयुक्त ने निरोध आदेश का एक हिस्सा निकाला है जिसे हमने पैराग्राफ 3 (ऊपर) में निर्धारित किया है।बंदी के पिछले आपराधिक इतिहास पर विचार करने की पुनरावृत्ति इसके प्रभाव के बिना नहीं है, जैसा कि हम वर्तमान में चर्चा करेंगे।45. खुदीराम दास (ऊपर) में, बंदी के 'इतिहास पत्रक' की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में, यह स्पष्ट किया था कि एक सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता था कि बंदी को उन ऑफ एनस को करने की आदत थी।केवल इसलिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि उसे इस तरह के अपराध करने की आदत थी।इसके अलावा, अपराध करने की आदत को, अलग से, किसी भी निरोध आदेश के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है; बल्कि इसका परीक्षण 'सार्वजनिक व्यवस्था' के मेट्रिक्स पर किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।इसलिए, ऐसे मामले जहां इस तरह की आदत ने कोई 'सार्वजनिक अव्यवस्था' पैदा की है, वे निरोध का आदेश देने के लिए एक आधार के रूप में योग्य हो सकते हैं।

46. यद्यपि आयुक्त ने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की कि उन्होंने उक्त 5 (एफ. आई. वी.) एफ. आई. आर. के आधार पर निरोध का आदेश दिया है, लेकिन निरोध आदेश में कथित रूप से बंदी द्वारा किए गए अतीत के अपराध के संकेत ने उनकी विचार प्रक्रिया को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है।उच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च, 2021 के निरोध के आदेश को रद्द करने और इस तरह के निर्देश को लागू करने के बाद, 991

यह तर्क की अवहेलना है कि आयुक्त ने अतीत की घटनाओं का एक विस्तृत वर्णन क्यों शुरू किया, जो निरोध के वर्तमान आदेश के आधारों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।खजा बिलाल अहमद (ऊपर) मामले में इस अदालत ने ठीक यही कहा था।इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शिबबन लाल सक्सेना (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह का आदेश एक बुरा आदेश होगा, इसका कारण यह है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित प्राधिकारी के दिमाग में वैध और अमान्य आधार किस तरह और किस हद तक काम करते हैं और आदेश के आधार को बनाते हुए उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि में योगदान दिया।

47. इस मोड़ पर यह जांच करना अनुचित नहीं होगा कि क्या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के रूप में आयुक्त ने कानून द्वारा आवश्यक तरीके से अपेक्षित संतुष्टि का गठन किया है, यानी, वस्तुनिष्ठ डेटा पर पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने की संभावना का निष्कर्ष निकालकर।यहाँ हम राजेश गुलाटी बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई सावधानी को ध्यान में रखेंगे। एन. सी. टी. दिल्ली सरकार 19 ने कहा कि हिरासत में लेने का आदेश देते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को भावनाओं, विश्वासों या पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए और साथ ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पिता द्वारा स्थापित पिछली रिट याचिका पर उच्च न्यायालय के 16 अगस्त, 2021 के फैसले और आदेश पर ध्यान देना चाहिए।ऐसी रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"इन परिस्थितियों में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की यह आशंका कि चूंकि हिरासत में लिए गए लोगों को सभी अपराधों में जमानत दी गई थी, इसलिए हिरासत में लिए गए लोगों के सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक समान अपराध करने की निकट संभावना है, जब तक कि उन्हें हिरासत के उचित आदेश द्वारा ऐसा करने से नहीं रोका जाता है, अत्यधिक गलत है।[...] तत्काल मामलों में, चूंकि बंदी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, यदि यह पाया जाता है कि बंदी आगे के अपराधों में शामिल हैं, तो अभियोजन पक्ष संबंधित अदालत को इसकी जानकारी दे सकता है और जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।इसके अलावा, बंदियों के खिलाफ आपराधिक कानून पहले ही लागू कर दिया गया था।चूंकि बंदियों ने कथित रूप से भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध किए हैं, इसलिए उक्त अपराधों से भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।निरोधक प्राधिकारी को निवारक निरोध का तैयार सहारा लेकर देश के दंडात्मक कानून को नष्ट करने, प्रतिस्थापित करने या प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

19 (2002) 7 एस. सी. सी 129

48. चूँकि उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार, पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है, इसलिए आयुक्त के लिए चुनौती के तहत निरोध आदेश में फिर से उसी पूर्व घटना का उल्लेख करने के लिए खुला नहीं था।नज़रबंदी का आदेश देने की तत्काल आवश्यकता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध या संबंध नहीं था और हम नज़रबंदी आदेश में अपना रास्ता खोजने के बाद बाहरी विचार रखते हैं।

49. अधिकारियों को हिरासत में लेने के लिए कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता वाला दूसरा पहलू और जिस पर हम टिप्पणी करना चाहते हैं, वह यह है कि हिरासत के आदेशों को ऐसी भाषा में व्यक्त करने की कानून में कोई आवश्यकता नहीं है जिसे आम तौर पर सुरुचिपूर्ण या कलात्मक माना जाता है।निरोध के आदेश, जो समझने में सक्षम है, को बिना किसी अस्पष्टता के निरोध के आधार को सटीक रूप से निर्धारित करना होगा।आदेश का सार और इसे डिटेनू द्वारा कैसे समझा जाता है, यह इसकी प्रकृति को निर्धारित करता है।साधारण और सरल भाषा में एक आदेश जो इस बात की स्पष्टता प्रदान करता है कि व्यक्तिपरक संतुष्टि कैसे बनाई गई थी, एक बंदी की तलाश होगी, क्योंकि बंदी को निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और दावा करता है कि ऐसा आदेश बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था।यदि बंदी निरोध के आधार को समझने में विफल रहता है, तो उसे प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।साथ ही, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश बाहरी कारकों पर विचार प्रकट नहीं करता है।निरोधक प्राधिकारी को सावधान और चौकस रहना चाहिए कि निरोध के क्रम में कोई अतिरिक्त या अतिरिक्त शब्द या सजा न हो, जो मानवीय कारक को दर्शाता है-ऐसी मामलों में न्यायिक समीक्षा के प्रतिबंधों को देखते हुए न्यायिक जांच से बचने या हटाने के लिए कड़े निवारक निरोध कानूनों का उपयोग करके व्यक्तिगत झुकाव के साथ काम करने की उसकी मानसिकता, या अदालतों तक पहुंचने की धारणा के साथ आरोपित प्राधिकरण के रूप में, राज्य द्वारा उठाए गए कड़े विरोध के बावजूद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत देने के आदेशों से दुखी और निराश होना चाहिए और इस तरह उसे सलाखों के पीछे रखने के प्रयास में विफल रहना चाहिए।

50. ऊपर हमने जो व्यक्त किया है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण चुनौती के तहत निरोध आदेश में आयुक्त की टिप्पणियों से मिलता है, जिन्हें उद्धृत करना उचित माना जाता है।इसमें, आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहाः

"प्रस्तावित बंदी और उसके सहयोगी कुख्यात ऑफ एंडर्स और राउडी शीटर हैं।

... 993

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 994

प्रस्तावित बंदी को फलकनुमा पीएस के Cr.No.35/2023 में माननीय अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया और माननीय मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसने Cr.Nos में जमानत याचिकाएं दायर कीं। गोलकोंडा पी. एस. का 18/2023 और फलकनुमा पी. एस. का <आई. डी. 2। अभियोजन पक्ष ने उन्हें जमानत देने का कड़ा विरोध किया, लेकिन माननीय मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत दे दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया।इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जैसा कि उसके पिछले आपराधिक इतिहास, पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्तियों और एक के बाद एक अपराध करने की उसकी आदत और जेल से बाहर आने की उसकी आदतों से देखा जा सकता है, मेरा दृढ़ता से मानना है कि अगर इस तरह के आदतन अपराधी को रिहा कर दिया जाता है, तो उसकी गतिविधियाँ समाज के लिए सुरक्षित नहीं होंगी और किसी एक मामले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन करके उसके इसी तरह के अपराध करने की संभावना है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, जब तक कि उसे हिरासत के उचित आदेश द्वारा ऐसा करने से रोका नहीं जाता है।"

निरोध आदेश में कार्यवाही के चरण के संबंध में, जो इसका आधार है, कहा गया है कि राज्य द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद, अपराध संख्या 4 और 5 में बंदी को जमानत दे दी गई है।जहाँ तक बंदी को जमानत देने का संबंध है, आयुक्त का कहना है किः

"मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि ऐसे आदतन अपराधी को रिहा कर दिया जाता है तो उसकी गतिविधियाँ समाज के लिए सुरक्षित नहीं होंगी और किसी एक मामले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन करके उसके इसी तरह के अपराध करने की संभावना है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, जब तक कि उसे हिरासत के उचित आदेश द्वारा ऐसा करने से रोककर हिरासत में नहीं लिया जाता है।"

51. हमारी राय है कि निरोध आदेश के उपरोक्त अंश आयुक्त के अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने और निरोध का आदेश पारित करने के प्रयास को उजागर करते हैं, जिसे अधिनियम के तहत वैध रूप से दिए गए आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। उद्धृत टिप्पणियाँ उचित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना किसी भी कीमत पर बंदी को हिरासत में लेने के इरादे का प्रतिबिंब हैं।न तो यह उत्तरदाताओं का मामला है कि बंदी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के तहत जारी नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया था। पी. सी., न ही यह आरोप लगाया गया है कि बंदी द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया था।यह.

यह ध्यान देने योग्य है कि जिन तीन आपराधिक कार्यवाही में बंदी को जमानत पर रिहा किया गया था, उनमें राज्य द्वारा जमानत रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था।उसी के आलोक में, अधिनियम के प्रावधान, जो एक असाधारण क़ानून है, का सहारा तब नहीं लिया जाना चाहिए था जब सामान्य आपराधिक कानून विवादित निरोध आदेश की ओर ले जाने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करता है।जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां निवारक निरोध के कानून के असाधारण उपाय का सहारा लेने के लिए सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के उल्लंघन की गारंटी नहीं देती हैं।

52. विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 20 में, माननीय ई. एस.

वेंकटरमैया, जे. (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहाः32. .....यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निवारक निरोध का कानून एक कठिन कानून है और इसलिए इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक खतरे में न पड़े जब तक कि उसका मामला सुसंगत कानून के चारों कोनों के भीतर न आए।निवारक निरोध के कानून का उपयोग केवल आपराधिक अभियोजन में शामिल अभियुक्त के पंखों को काटने के लिए नहीं

किया जाना चाहिए।यह किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के उद्देश्य से नहीं है जब सामान्य आपराधिक कानून के तहत जमानत के आदेश जारी करने का विरोध करना संभव नहीं हो सकता है, जब तक कि उपलब्ध सामग्री ऐसी न हो जो इस तरह के निरोध को अधिकृत करने वाले कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करे।जब किसी व्यक्ति को एक सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जाता है, तो निवारक निरोध के आदेश की वैधता की जांच करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो उसी आरोप पर आधारित है जिसका मुकदमा आपराधिक अदालत द्वारा चलाया जाना है।"

(हमारा उल्लेख करते हुए, जोर देने के लिए) 53।इन सिद्धांतों का अनुनाद बांका स्नेहा शीला बनाम में पाया जा सकता है। तेलंगाना राज्य 21.वहां, आई. पी. सी. की धारा 420,406 और 506 से जुड़े 5 (एफ. आई. वी.) ऑफ एन्सिस के संदर्भ में पारित निरोध के आदेश की जांच करते हुए, जिसके संबंध में निरोध ने जमानत/अग्रिम जमानत के आदेश प्राप्त किए थे, इस अदालत को यह कहने का अवसर मिला था किः

20 (1984) 3 एससीसी 14 21 (2021) 9 एससीसी 415 995

“निरोध आदेश को बारीकी से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त आदेश का कारण व्यापक सार्वजनिक नुकसान, खतरे या खतरे की कोई आशंका नहीं है, बल्कि केवल इसलिए है क्योंकि बंदी प्रत्येक एफ. आई. आर. में अदालतों से अग्रिम जमानत/जमानत प्राप्त करने में सफल रहा है। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अग्रिम जमानत/जमानत दी जाती है, तो स्थिति से निपटने के लिए सामान्य कानून में जाने-माने उपाय हैं।राज्य हमेशा दिए गए जमानत आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है और/या जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।केवल अग्रिम जमानत/जमानत आदेशों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना बंदी को हिरासत में लेने का वास्तविक आधार होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (ए) में आम जनता के बीच हानि, खतरा या खतरे या सुरक्षा की भावना की बात की गई है और वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से अनुपस्थित है।"

(हमारा उल्लेख करते हुए, जोर देने के लिए) 54।बाह्य सामग्री पर विचार करने के आधार पर भी निरोध आदेश अस्थिर है।

55. तेलंगाना राज्य में प्रचलित एक घातक प्रवृत्ति हमारे ध्यान से नहीं बची है।जहां राष्ट्र विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं उक्त राज्य के कुछ पुलिस अधिकारी जो अपराधों को रोकने के कर्तव्य से जुड़े हुए हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी समान रूप से जिम्मेदार हैं, वे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से अनजान प्रतीत होते हैं और लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं।इस प्रवृत्ति को जितनी जल्दी समाप्त किया जाए, उतना ही अच्छा है।यहाँ तक कि इस न्यायालय को, मल्लदा के श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य 22 में, तेलंगाना राज्य से उत्पन्न एक अपील पर निर्णय लेते समय, यह टिप्पणी करने का अवसर मिला थाः

“17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले पांच वर्षों में, इस न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए मानक को गलत तरीके से लागू करने और निरोध के आदेश पारित करते समय बासी सामग्री पर भरोसा करने के लिए 1986 के तेलंगाना अधिनियम के तहत पांच निरोध आदेशों को रद्द कर दिया है।1986 के तेलंगाना अधिनियम के तहत कम से कम दस निरोध आदेशों को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पिछले एक में रद्द कर दिया गया है।

22 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 424

स्वयं वर्ष।ये संख्याएँ हिरासत में लिए गए अधिकारियों और प्रतिवादी-राज्य द्वारा निवारक निरोध की असाधारण शक्ति के कठोर अभ्यास को दर्शाती हैं।हम प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हैं कि वे सलाहकार बोर्ड, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित निरोध आदेशों की चुनौतियों का जायजा लें और वैध मानकों के खिलाफ निरोध आदेश की निष्पक्षता का मूल्यांकन करें।

(हमारा उल्लेख करते हुए, जोर देने के लिए) 56।अधिनियम के तहत नियमित रूप से जारी किए जाने वाले निरोध के आदेशों के साथ इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप बेरोकटोक जारी प्रतीत होता है।मल्लदा के श्री राम (ऊपर) के बाद भी, शेख के मामले में काफी हाल के मूल के एक अन्य निर्णय में

नाज़नीन बनाम। तेलंगाना राज्य 23, इस न्यायालय ने विवादित को दरकिनार कर दिया

28 अक्टूबर, 2021 के निरोध के आदेश में कहा गया है कि निवारक निरोध कानून के तहत आश्रय लेना उचित उपाय नहीं था।

57. इस पर कोई गंभीर बहस की आवश्यकता नहीं है कि निवारक निरोध, जिसे हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा एक असाधारण उपाय के रूप में माना गया है, को वर्षों से अपने लापरवाह आह्वान के साथ सामान्य बना दिया गया है जैसे कि यह कार्यवाही के सामान्य पाठ्यक्रम में भी उपयोग के लिए उपलब्ध था।निवारक निरोध की जंजीरों को हटाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में निहित सुरक्षा उपायों को, विशेष रूप से अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा बनाए गए 'स्वर्ण त्रिकोण' के तहत, लगन से लागू किया जाए।

58. अब हम अपने सामने उठाए गए आनुषंगिक मुद्दे का जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं।शायद ही कभी हमने पाया है कि सलाहकार बोर्ड की सलाह के बाद, संबंधित कानून के तहत अनुमेय अधिकतम अवधि से कम समय के लिए हिरासत के आदेश जारी रहे।सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले पर विचार, जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य सदस्यों सहित सम्मानित सदस्य शामिल हैं, की परिकल्पना हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ और/या किसी बंदी के साथ गंभीर अन्याय होने की संभावना की जांच करने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।यह कहना एक बात है कि सलाहकार मंडल ने यह राय व्यक्त की है कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है और इसलिए, निरोध जारी रखा गया है; फिर भी, यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि निरोध अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए जारी रहना चाहिए।धारा की उप-धारा (2) के आलोक में

11 अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित, जिस अवधि के लिए निरोध जारी रहना चाहिए, उसे सरकार द्वारा उसकी धारा 13 में इस शर्त के साथ निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि अधिकतम अवधि निरोध की तारीख से 12 (बारह) महीने होगी।यह प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के स्पष्ट अध्ययन पर दिखाई देता है।इसके अलावा, श्री लूथरा ने माननीय बी. के. मुखर्जी, जे.

दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर बनाम बॉम्बे राज्य में 24 कि अवधि

जिसके लिए एक बंदी को हिरासत में रखा जाना है, यह निर्णय हिरासत प्राधिकरण को करना है न कि सलाहकार बोर्ड को।उक्त राय ए. के. रॉय बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को मंजूरी देती है। भारत संघ 25.इसलिए, निरोध की अवधि और अंतिम बिंदु सरकार द्वारा तय किया जाना है।एक नियमित प्रक्रिया के रूप में निरोध की तारीख से अधिकतम 12 (बारह) महीने की अनुमेय अवधि के लिए निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत के आदेशों को जारी रखने वाले अधिकारियों की विचित्र स्थिरता को देखने के बाद, बिना किसी दिमाग के उपयोग के, हम सोचते हैं कि यह समय है जब तक कि संबंधित सरकार द्वारा कारावास आदेश में कुछ संकेत प्रदान नहीं किए जाते हैं, तब तक अधिकतम अनुमेय अवधि तक हिरासत के आदेशों को जारी रखने से रोकने के लिए कुछ शब्द कहने का।

59. संविधान के अनुच्छेद 22 (4) में प्रावधान है कि एक निवारक निरोध कानून किसी व्यक्ति को 3 (तीन) महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं कर सकता है, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड ने 3 (तीन) महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह रिपोर्ट नहीं दी हो कि उसकी राय में, इस तरह की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है।इसके बाद एक गैर-अस्थाई खंड आता है जो इस प्रकार हैः

“बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात खंड (7) के उपखंड (बी) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगी।

60. अधिनियम की कौन सी धारा 13, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में से एक में ध्यान दिया गया है।हालाँकि, हमारे विचार में, 12 (बारह) महीने की हिरासत की अधिकतम अवधि को मानक अवधि के रूप में मानने वाले अधिकारियों की नियमित प्रथा, सूचक हो सकती है।

24 ए. आई. आर. 1952 एससी 181 25 (1982) 1 एस. सी. सी. 271

एक यांत्रिक दृष्टिकोण।12 (बारह) महीने के लिए निरोध बढ़ाने की शक्ति प्रदान करने में अंतर्निहित अधिकतम अवधि से कम किसी भी अवधि के लिए सक्रिय होने का आदेश देने का विवेकाधिकार है।

61. फागू शॉ बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 26 एक और संविधान है।

इस न्यायालय के पीठ के निर्णय में मीसा की धारा 13 को चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया था कि धारा 13 खराब है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इसने हिरासत की अवधि को निर्धारित करने के लिए हिरासत में लेने के अधिकार को असीमित विवेकाधिकार प्रदान किया है।चुनौती को पलटते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

“28. *** निरोध की अधिकतम अवधि को धारा 13 द्वारा निर्धारित किया गया है और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अधिकतम अवधि को निर्धारित करने का विवेकाधिकार सरकार को दिया गया है।यह देखते हुए कि निरोध की अधिकतम अवधि को धारा 13 द्वारा निर्धारित किया गया है और किसी विशेष मामले में निरोध की अवधि को निर्धारित करने के विवेकाधिकार का उपयोग कई अभेद्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, हम नहीं मानते कि इस तर्क में कोई सार है कि निरोध की अवधि निर्धारित करने की सरकार की शक्ति भेदभावपूर्ण या मनमाना है।"62. ए. के. रॉय (ऊपर) में, न्यायालय ने उपरोक्त विचार को प्रतिध्वनित करते हुए कहा

वहः

“77. धारा 13 के खिलाफ डॉ. घाटते की आपत्ति यह है कि यह सभी मामलों में 12 महीने की एक समान अवधि के लिए प्रावधान करता है, चाहे उन आधारों की प्रकृति और गंभीरता कुछ भी हो जिनके आधार पर निरोध का आदेश पारित किया जाता है।इस शिकायत में कोई सार नहीं है क्योंकि निवारक निरोध के किसी भी कानून में अधिकतम अवधि के लिए निरोध का प्रावधान करना होता है, जैसे कि दंड संहिता जैसे किसी भी दंडात्मक कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान करना होता है जिसे किसी भी अपराध के लिए लगाया जा सकता है।हमें सोचना चाहिए था कि हिरासत की प्रकृति और गंभीरता की परवाह किए बिना, हिरासत की न्यूनतम अवधि निर्धारित करना गलत होगा।यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश देने का दायित्व नहीं देता है कि उसे हिरासत में लिया जाएगा।

26 (1974) 4 एससीसी 152 999

अधिकतम अवधि के लिए।हिरासत में रखने वाला प्राधिकारी हमेशा हिरासत की अवधि के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।"

(हमारा उल्लेख, जोर देने के लिए) 63।जब भी किसी अभियुक्त पर किसी दंडात्मक कानून के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम सजा होती है, तो न्यायालय सजा सुनाते समय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाने और या तो अधिकतम सजा या कम सजा देने के लिए बाध्य होता है।इसलिए, सजा देने के संबंध में इसका विवेकाधिकार है।हम इस विचार के पक्ष में हैं कि इस प्रस्ताव के लिए कोई वारंट नहीं हो सकता है कि जब यह एक निवारक निरोध कानून के तहत निरोध के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, जो दंडात्मक नहीं है, तो सरकार प्रतिरक्षा की मांग कर सकती है और अधिकतम अवधि के लिए निरंतर निरोध में एक निर्बाध, निर्देशित और असीमित विवेक का

आनंद ले सकती है, बिना बहुत संक्षिप्त के अपने दिमाग को इंगित करते हुए कि "अभेद्य" के रूप में जिन्हें अधिकतम अवधि के लिए ध्यान में रखा गया था।धारा 13 में "अधिकतम अवधि" शब्द सरकार को विवेकाधिकार के साथ निहित करता है, जो इस बात पर विचार करते हुए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है कि क्या निरोध को अधिकतम 12 (बारह) महीने या किसी कम अवधि के लिए जारी रखा जाना है।हमारी राय में, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि विवेकाधीन शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके।

64. विवेकाधिकार, यह इस न्यायालय द्वारा बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। बी. एस. मुद्दप्पा 27, प्रशासन में एक प्रभावी उपकरण है जो संबंधित प्राधिकारी को एक या दूसरे विकल्प को अपनाने का विकल्प प्रदान करता है।जब कोई कानून विवेक के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, या नियम या विनियमन तैयार किया जाता है, तो कार्रवाई उसके अनुसार होनी चाहिए।हालाँकि, जहाँ कानून मौन हैं और केवल एक या दूसरे तरीके से कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहाँ प्राधिकरण सनक या मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है; इसे तर्कसंगतता और निष्पक्षता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। विधायिका कानून के दुरुपयोग या इसके अनुचित उपयोग का इरादा नहीं रखती है।

65. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत एक निर्वासन आदेश की वैधता पर विचार करते हुए, यह न्यायालय दीपक बनाम राज्य के मामले में।

महाराष्ट्र 28 आयोजितः

27 (1991) 4 एससीसी 54

28 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 99

“जब सक्षम प्राधिकारी अधिकतम दो वर्ष की अनुमेय अवधि के लिए कोई आदेश पारित करता है, तो बहिष्करण के आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मन के अनुप्रयोग का खुलासा करना चाहिए और आदेश को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बहिष्करण के आदेश को पारित करने की आवश्यकता के बारे में अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए जो रिकॉर्ड पर सामग्री पर आधारित है।"

66. यह सच है कि दीपक (उपरोक्त) निवारक निरोध कानूनों से उत्पन्न होने वाला मामला नहीं था।हालांकि, ऐसी स्थितियों में जहां हिरासत की अवधि तय करने के लिए अधिकारियों के पास विवेकाधिकार उपलब्ध है, जैसा कि लॉर्ड हैल्सबरी द्वारा व्यक्त किया गया है।

सुज़ाना शार्प बनाम वेकफ़ी एल्ड एंड ओरस में। 29, यह विवेकाधिकार होना चाहिए

"तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, निजी राय के अनुसार नहीं; कानून के अनुसार, और हास्य के अनुसार नहीं; यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए।"

67. हम एक बार फिर ए. के. रॉय (ऊपर) की ओर मुड़ते हैं जहाँ कानून को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया हैः

“70. *** हमारे पास यह कहने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है कि संविधान के भाग III के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं और इसलिए, निवारक निरोध का कानून जो अनुच्छेद 22 के भीतर आता है, उसे भी अनुच्छेद 14,19 और 21 की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।***”

68. इस प्रकार अभिनिर्धारित करने के बाद, हम विजय कुमार बनाम भारत संघ 30 के निर्णय से बेखबर नहीं हैं, जहां इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सरकार ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 10 में निर्धारित किए गए निरोध की तारीख से अधिकतम 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अपीलार्थी की नजरबंदी को स्वीकार करते हुए अपना दिमाग नहीं लगाया था।इस तर्क पर विचार करते हुए कि कोई कारण दिया जाना चाहिए था कि निरोध की अधिकतम अवधि क्यों लगाई गई थी और इसे बिना योग्यता के ठहराते हुए, पीठ के पीठासीन न्यायाधीश के मुख्य निर्णय में तर्क दिया गया कि धारा 10 में यह प्रावधान नहीं है कि निरोध की अधिकतम अवधि लागू करने में कोई कारण दिया जाना चाहिए और यह कि निरोध के आदेश को स्वीकार करते हुए यह हो सकता है

29 [1891] ए. सी. 173,179 30 (1988) 2 एस. सी. सी. 57 1001

उचित रूप से यह माना जाए कि सरकार ने सभी प्रासंगिक तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है; इस प्रकार, यदि निरोध की अधिकतम अवधि लागू की गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने निरोध की अवधि पर अपना दिमाग नहीं लगाया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी स्थिति में धारा 11 सरकार द्वारा किसी भी समय आदेश को निरस्त करने और/या संशोधित करने में सक्षम बनाती है और परिस्थितियों में, अपीलार्थी कम से कम पूर्वाग्रह में था।सहमति देने वाले निर्णय में यह भी विचार लिया गया कि प्राधिकरण को कम अवधि के लिए या धारा 10 के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि के लिए कोई विशेष कारण देने की आवश्यकता नहीं है।

69. तब से पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका है।यह अब कानून नहीं है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण केवल तभी एक तर्कपूर्ण निर्णय देने के लिए बाध्य है जब वह जिस क़ानून के तहत कार्य कर रहा है, उसे कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, यह केवल उन मामलों में है जहां आवश्यकता को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के साथ समाप्त कर दिया गया है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण को कारण दर्ज करने के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।इसके अलावा, आधिकारिक कृत्यों के वैध रूप से किए जाने की धारणा को उस अवधि को बनाए रखने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है जिसके लिए निरोध जारी रहेगा यदि निरोध का आदेश स्वयं एक अवैधता से पर्याप्त है जो इसे अस्थिर बनाता है।इसके अलावा, यदि इस तरह की शक्ति का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह तर्क कि सरकार के पास प्रत्यावर्तन/संशोधन की शक्ति उपलब्ध होने के कारण हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए कोई पूर्वाग्रह पर्याप्त नहीं है, किसी भी तरह के सांत्वना का कारण नहीं होगा।ऐसे मामले में पूर्वाग्रह बहुत बड़ा होगा।इसलिए, विजय कुमार (ऊपर) में निर्णय अलग है।

70. यथोचित रूप से देखे जाने पर, निरोध की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक रूप से भिन्न होनी चाहिए और सभी मामलों में समान नहीं हो सकती है।प्रत्येक मामले में पूरा किए जाने का उद्देश्य, चाहे अधिकतम अवधि के लिए निरंतर निरोध द्वारा उप-सेवा प्रदान की गई हो, निरोध के क्रम में कुछ प्रतिबिंब होना चाहिए; अन्यथा, सरकार पर अनुचितता और अन्याय का आरोप लगाया जा सकता है।किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अमूल्य अधिकार पर प्रतिबंध होने के कारण और यदि इसे अधिकतम अवधि के लिए जारी रखा जाना है, तो यह स्पष्ट रूप से न्यायसंगत और वांछनीय होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ऐसा प्रतिबंध, कम से कम, एक ऐसे दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है जो अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरता है।हालाँकि, हम यहाँ यह कहने से बचते हैं कि हिरासत का आदेश, जिसे अन्यथा कानूनी और वैध माना जाता है, केवल इस पर अमान्य किया जा सकता है

हिरासत को अधिकतम अवधि के लिए क्यों जारी रखा गया है, इसके बारे में कोई संकेत नहीं होने का आधार।वह स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं होती है और एक उपयुक्त मामले में निर्णय के लिए छोड़ दी जाती है।

71. श्री लूथरा और श्री डेव दोनों ने पेसाला नुकाराजू बनाम के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले का उल्लेख किया है। आंध्र प्रदेश सरकार 31, जहां आंध्र प्रदेश बूट-लेगर्स, डकैत, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडा, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स और लैंड ग्रैबर्स अधिनियम, 1986 ("1986 अधिनियम", इसके बाद) की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निरोध का आदेश पारित किया गया था, को आंध्र प्रदेश निषेध अधिनियम, 1995 की धारा 7 बी और 8 बी के तहत 4 (चार) F.I.R.s की जांच के संबंध में गिरफ्तारी पर जमानत के आदेश प्राप्त करने के बावजूद बरकरार रखा गया था।

72. श्री लूथरा चेरुकरी मणि के निर्णय पर भरोसा करना चाहते थे

बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार 32.इसके अनुसार

अपीलार्थी ने कहा कि निरोध पहली बार में केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू हो सकता है और आवधिक मूल्यांकन पर इस तरह के आदेश की अधिकतम अनुमेय अवधि तक निरंतर निरोध के लिए समीक्षा की आवश्यकता थी।इस अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया।

73. जब अपील की सुनवाई चल रही थी, तब निर्णय आया

पेसला नुकाराजू (ऊपर) चेरुकरी मणि (ऊपर) को पछाड़ते हुए।यह आयोजित किया गया था

कि "राज्य सरकार को कारावास आदेश पारित करने के बाद हर तीन महीने में निरोध के आदेशों की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।"वास्तव में, श्री लूथरा ने आगे चेरुकरी मणि (ऊपर) पर भरोसा करने की कोशिश नहीं की।

74. हालाँकि**,** श्री डेव के अनुसार**,** पेसाला नुकाराजू **(**ऊपर**)** में निर्णय ने विचाराधीन मुद्दे का जवाब दिया।पैराग्राफ **44** में एक वाक्य का संदर्भ दिया गया था जिसमें इस न्यायालय ने कहा था किः

“44. *** अधिनियम निरोध आदेश की समीक्षा पर विचार नहीं करता है जब सलाहकार बोर्ड ने राय दी है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण है और उस आधार पर, राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत की तारीख से अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए एक विश्वासघात आदेश पारित किया जाता है।***”

31 सीआरएल। 16 अगस्त, 2023 को तय की गई 2023 की अपील No.2304 32 (2015) 13 SCC 722 1003

अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [दीपांकर दत्त, जे.] 1004

75. श्री लूथरा ने ठीक ही कहा कि उद्धृत सजा इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पहले तर्क पर विचार करते हुए की गई चर्चा का हिस्सा है कि निरोध आदेश 1986 अधिनियम की धारा 3 (2) के प्रावधान के विपरीत था।

76. श्री डेव ने इसके बाद पेसाला नुकाराजू **(**ऊपर**)** में दिए गए कारणों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि विवादित निरोध आदेश को कानूनी और असाधारण माना जाना चाहिए।

77. मामले के गुण-दोष के आधार पर, हम पेसाला नुकाराजू (ऊपर) में अदालत को हिरासत के विवादित आदेश को पूरी तरह से वैध पाते हैं।यह पैराग्राफ 65 और 71 से स्पष्ट होता है, जिसे हम यहाँ उद्धृत करते हैंः“65. *** यदि निरोध इस आधार पर है कि बंदी शराब के निर्माण या परिवहन या बिक्री में लिप्त है, तो यह अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधि नहीं बनेगी क्योंकि इससे निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी रूप से निपटा जा सकता है, लेकिन यदि बंदी द्वारा बेची गई शराब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो 1986 के अधिनियम के तहत, यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधि बन जाती है, इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसे उपलब्ध सामग्री पर संतुष्ट किया जाए कि बंदी द्वारा दी गई शराब शराब है जो 1986 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसी सामग्री या तो सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद है।

***

71. मामले में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा शराब बेचना और उस इलाके के लोगों द्वारा सेवन करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।इस तरह का बयान उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की अभिव्यक्ति है कि बंदी अपीलार्थी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।इतना ही नहीं, निरोध प्राधिकारी ने अपना संतोष भी दर्ज किया है कि निरोधित अपीलार्थी को ऐसी गतिविधियों में आगे शामिल होने से रोकना आवश्यक है और यह संतुष्टि अभिलेख पर विश्वसनीय सामग्री के आधार पर प्राप्त की गई है।***”

78. यह वास्तव में सच है कि अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष एक तर्क उठाया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपीलार्थी को अधिकतम 12 (बारह) महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने का निर्देश दिया था, बिना किसी दिमाग के आवेदन या कारण प्रदान किए कि यह क्यों आवश्यक है।79. पेसाला नुकाराजू (ऊपर) में निर्णय को पढ़ने के बाद, हमें ऐसा लगता है कि न्यायालय ने इस विवाद से निपटने के लिए आवश्यक नहीं समझा होगा क्योंकि अभिलेख पर सामग्री पर एक अंतिम राय बनाई गई थी कि अपीलार्थी उपभोक्ताओं को शराब बेचने की गतिविधियों में लिप्त था जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस प्रकार, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल है।यह इस आधार पर है कि निरोध का आदेश देने के लिए निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि अदालत की स्वीकृति की सराहना करती है।

80. इसके विपरीत, हम तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी के पति की गतिविधियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल माना नहीं जा सकता है।इसलिए, पेसाला नुकाराजू (ऊपर) में निर्णय अलग है और श्री दवे की सहायता नहीं करता है।इस प्रकार, हमें श्री डेव की दलीलों को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

निष्कर्ष

81. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम निरोध आदेश को बरकरार नहीं रख सकते हैं।नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है।निरोध आदेश और विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया।बिना किसी लागत के अपील की अनुमति है।

82. अपीलार्थी के पति, अर्थात बंदी को हिरासत से तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान